कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

8
अध्याय

कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और किसानों के प्रयासों से साठ के दशक में कृषि क्षेत्र में शानदार सफलता प्राप्त करने में मदद मिली थी जिसे 'हरित क्रान्ति' के रूप में प्रमुखता से जाना गया। परवर्ती वर्षों में प्राप्त उच्च कृषि उत्पादन और उत्पादकता काफी हद तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने का मुख्य कारण रही है। देश में तब से कृषि में कोई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी प्रगति नहीं देखी गयी। एक अरब से अधिक नागरिकों जिनकी संख्या में बढ़ोतरी जारी है, में से प्रत्येक को खाद्य सुरक्षा की परिधि में शामिल करने हेतु दूसरी हरित क्रान्ति के रूप में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा, दालों, तिलहनों, फल और वनस्पतियों का उच्च उत्पादन और उत्पादकता स्तर प्राप्त करने हेतु विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, ये पहली हरित क्रान्ति में अछूते रहे। लेकिन यह पौषणिक सुरक्षा हेतु आवश्यक है। इस संबंध में कुक्कुट पालन, मांस और मात्स्यिकी का उच्च उत्पादन प्राप्त करना भी अत्यावश्यक है। हाल ही में कृषि जिंसों विशेषकर खाद्य वस्तुओं में मूल्य बढ़ोतरी की तुलना में सापेक्ष रूप से कमजोर आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का मुख्य प्रश्न सामने आया है और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में विकास का सतत स्तर बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की गयी। राष्ट्र के समक्ष विकल्प सुस्पष्ट है कि वह सही कार्य योजना, नीतियों तथा हस्तक्षेपों सहित कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में और अधिक निवेश करे। यह 'समावेशी विकास' और विकास के लाभ अधिसंख्य लोगों तक पहुंचाने का सुनिश्चय करने हेतु एक 'आवश्यक' शर्त भी है।

8.2 कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र निष्पादन में महत्वपूर्ण कारक है। दिनांक 07-02-2011 को केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी 2010-11 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र का हिस्सा 2004-05 की स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (सघउ) का 14.2 प्रतिशत था। 2004-05 से 2007-08 की अवधि के दौरान, कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंध सघउ 2004-05 की स्थिर कीमतों पर 5,65,426 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,55,080 करोड़ रुपए हो गया, उसके बाद दो वर्षों (2008-09 से 2009-10) के लिए यह इस स्तर पर स्थिर

चित्र 8.1 कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों से सम्बद्ध सघउ

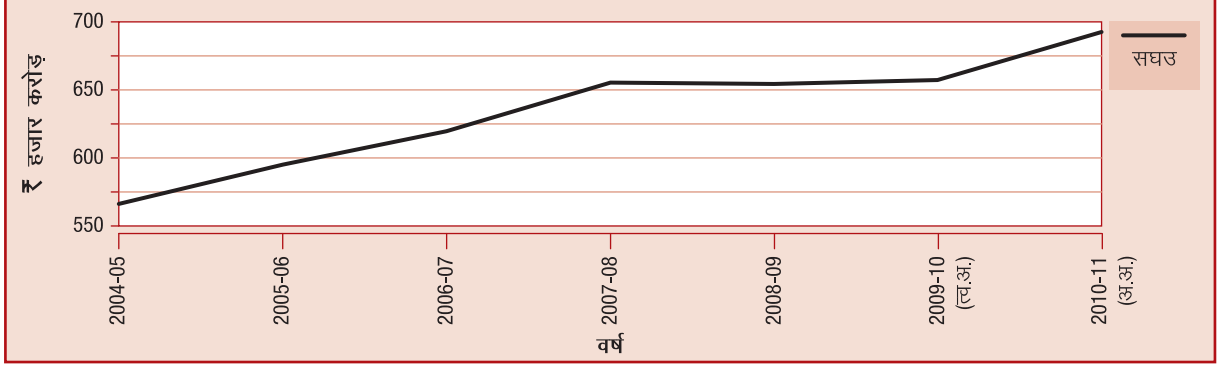

सारणी 8.1 : कृषि क्षेत्र: मुख्य संकेतक

(प्रतिशत)

क्र. सं.	मद	2008-	2009-	2010-11 (अग्रिम अनुमान)
1.	सघउ-हिस्सा तथा वृद्धि (2004-05 कीमतों पर)			
	कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में सघउ में वृद्धि	-0.1	0.4	5.4
	सघउ में हिस्सा-कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र	15.7	14.6	14.2
	कृषि	13.3	12.3	
	वानिकी तथा वृक्ष कटाई	1.6	1.5	
	मात्स्यिकी	0.8	0.8	
2.	देश में कुल सकल पूंजी निर्माण में हिस्सा (2004-05 कीमतों पर)			
	कुल सकल पूंजी निर्माण में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों का हिस्सा	8.3	7.7	
	कृषि	7.7	7.1	
	वानिकी तथा वृक्ष कटाई	0.07	0.06	
	मात्स्यिकी	0.56	0.54	
3.	कृषि आयात तथा निर्यात (मौजूदा कीमतों पर)			
	राष्ट्रीय आयात की तुलना में कृषि आयात	2.71	4.38	
	राष्ट्रीय निर्यात की तुलना में कृषि निर्यात	10.22	10.59	
4.	2001 की जनगणना के अनुसार कुल कामगारों के भाग के रूप में कृषि क्षेत्र में रोजगार	58.2		

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा कृषि और सहकारिता विभाग

हो गया (चित्र 8.1)। वर्ष 2009-10 में इसका हिस्सा सघउ का 14.6 प्रतिशत है जो 2008-09 में 15.7 प्रतिशत तथा 2004-05 में 19.0 प्रतिशत की तुलना में है। इस प्रकार सघउ में इसका हिस्सा हाल में तेजी से घटा है। इसे इस तथ्य से स्पष्ट किया जाता है कि जबकि समग्र सघउ में वृद्धि 2004-05 से 2010-11 के दौरान 8.62 प्रतिशत के औसत से हुई है, वहीं कृषि क्षेत्र सघउ में इसी अवधि के दौरान केवल 3.46 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई। तथापि, कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही है क्योंकि यह देश में लगभग 58 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करता है (2001 की जनगणना के अनुसार)। इसके अलावा, यह क्षेत्र उद्योग के बड़े भाग के लिए खाद्य, चारा तथा कच्ची सामग्री का सप्लायर है। इसलिए भारतीय कृषि के विकास को 'समावेशी विकास' की आवश्यक शर्त समझा जा सकता है। हाल ही में, ग्रामीण क्षेत्र (कृषि सहित) को घरेलू मांग के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जा रहा है, यह एक ऐसी मान्यता है जो सेवा तथा वस्तुओं की मांग को व्यापक करने हेतु उद्यमियों की विपणन कार्य योजनाओं को स्वरूप देने लगी है। संघटन के सन्दर्भ में, कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 2009-10 में सघउ के 14.6 प्रतिशत के कुल भाग में से कृषि का हिस्सा अकेले 12.3 प्रतिशत है, उसके बाद वानिकी एवम् वृक्ष से कटाई का हिस्सा 1.5 प्रतिशत तथा मात्स्यिकी का 0.8 प्रतिशत है (सारणी 8.1)।

मौजूदा पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान कृषि क्षेत्र का निष्पादन

8.3 मौजूदा पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान, कृषि क्षेत्र (सम्बद्ध गतिविधियों सहित) ने प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत के योजना लक्ष्य की तुलना में 2.03 प्रतिशत की औसत विकास दर दर्ज की। मौजूदा योजना के 2007-08 के पहले वर्ष में कृषि क्षेत्र ने 5.8 प्रतिशत की शानदार विकास दर प्राप्त की, तथापि, अगले दो वर्षों में इस उच्च वृद्धि दर को बनाए नहीं रखा जा सका तथा कृषि क्षेत्र का विकास घटकर 2008-09 में -0.1 प्रतिशत के नकारात्मक जोन में जा पहुंचा, यद्यपि यह वर्ष 234.47 मिलियन टन खाद्य उत्पादन का रिकार्ड वर्ष था। कृषि सघउ के विकास में गिरावट मुख्यत: कृषि फसलों जैसे तिलहन, कपास, जूट तथा मेस्ता और गन्ने के उत्पादन में कमी के कारण हुई। 2009-10 में 1972 से सर्वाधिक खराब दक्षिण-पश्चिम मानसून से और उसके बाद खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में भारी गिरावट से अच्छी रबी फसल के कारण इसमें 0.4 प्रतिशत तक मामूली सुधार हुआ। रबी फसल को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों से रबी फसल पर सूखे की स्थिति के प्रभाव को रोकने हेतु अपेक्षित परिणाम निकले। सापेक्षतया अच्छे मानसून की वजह से मौजूदा वर्ष में स्थिति में सुधार हुआ और कृषि क्षेत्र में 2010-11 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 5.4 प्रतिशत विकास की आशा है। योजना के पहले चार वर्षों में कृषि क्षेत्र

सारणी 8.2 : कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों में जीसीएफ (2004-05 की कीमतों पर करोड़ रुपए)

वर्ष	सघउ	कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियां		कृषि तथा कुल सम्बद्ध गतिविधियां में जीसीएफ/सघउ कुल	कुल के प्रतिशत के अनुसार कृषि में जीसीएफ
		जीसीएफ	सघउ		
2004-05	29,71,464	76,096	5,65,426	13.46	2.56
2005-06	32,54,216	86,611	5,94,487	14.57	2.66
2006-07	35,66,011	90,710	6,19,190	14.65	2.54
2007-08	38,98,958	1,05,034	6,55,080	16.03	2.69
2008-09अ.	41,62,509	1,28,659	6,54,118	19.67	3.09
2009-10त्व.अ.	44,93,743	1,33,377	6,56,975	20.3	2.97

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
टिप्पणी: अ॰ अनन्तिम त्व.अ. त्वरित अनुमान

का विकास 2.87 प्रतिशत होना अनुमानित है। प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत के औसत आयोजना लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कृषि क्षेत्र द्वारा 2011-12 के दौरान 8.5 प्रतिशत की दर पर विकास करने की आवश्यकता है।

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ)

8.4 सघउ के अनुपात के रूप में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण 2004-05 से 2006-07 के दौरान 14 प्रतिशत के आसपास स्थिर बना रहा। तथापि, मौजूदा पंचवर्षीय योजना के दौरान इस आंकड़े में सुधार हुआ। इसमें 2007-08 में बढ़ोतरी होकर यह 16.03 प्रतिशत हो गया और पुन: 2008-09 (अनन्तिम) में बढ़कर यह 19.67 प्रतिशत हो गया तथा 2009-10 (त्वरित अनुमान) में 20.30 प्रतिशत हो गया। तथापि, समग्र सघउ के सापेक्ष कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में जीसीएफ 2.5 से 3.0 प्रतिशत के आसपास स्थिर रहा (सारणी 8.2)। परिणामस्वरूप, कुल जीसीएफ में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र में जीसीएफ का हिस्सा 2004-05 से 2009-10 के दौरान 6.6 से 8.2 प्रतिशत की रेंज में बना रहा। (सारणी 8.3)। कृषि क्षेत्र में सतत विकास का सुनिश्चय करने हेतु निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों द्वारा निवेश में बढ़ोतरी की बहुत जरूरत है ताकि प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत का सतत विकास लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

सारणी 8.3 : कुल जीसीएफ (प्रतिशत) में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के जीसीएफ का हिस्सा (2004-05 कीमतों पर)

2004-05	7.5
2005-06	7.3
2006-07	6.6
2007-08	6.5
2008-09	8.3
2009-10	7.7

फसल उत्पादन

8.5 2005-06 से 2008-09 के निरन्तर चार वर्षों के लिए खाद्यान्न उत्पादन में चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी और 2008-09 में यह 234.47 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। 2009 में देश के विभिन्न भागों में दीर्घकाल तक सूखा पड़ने की वजह से 2009-10 (अन्तिम अनुमान) के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन घटकर 218.11 मिलियन टन हो गया। लगभग सभी फसलों की उत्पादकता में भारी गिरावट देखी गयी, जिसके फलस्वरूप 2009 में उनके उत्पादन में गिरावट दर्ज हुई। दि॰ 9-2-2011 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2010-11 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का 232.07 मिलियन टन हो जाने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष यह 218.11 मिलियन टन था (सारणी 8.4)। यह 2008-09 में 234.47 मिलियन टन के रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन से कुछ ही कम है। देश में इस वर्ष गेहूं (81.47 मिलियन टन), दाल (16.51 मिलियन टन) तथा कपास (प्रति 170 किग्रा. की 33.93 मिलियन गांठें) का रिकार्ड उत्पादन होने की सम्भावना है। बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में सूखे के कारण तथा देश के विभिन्न भागों में चक्रवात, बेमौसमी और भारी वर्षा तथा शीत लहर एवं पाला पड़ने से फसल को हुए नुकसान के बावजूद उच्च उत्पादन हुआ।

कृषि फसलों का क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज वृद्धि दरें

8.6 कृषि फसलों के उत्पादन में वृद्धि प्रति एकड़ उपज पर निर्भर करती है। प्रति एकड़ विस्तार में सीमाओं को देखते हुए, दीर्घावधि उत्पादन वृद्धि का मुख्य स्रोत उपज में सुधार है। 1980-81 से 1989-90 की दो अवधियों तथा 2000-01 से 2009-10 (वर्षत्रय को समाप्त आधार 1981-82 = 100) हेतु विभिन्न फसलों का क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज के सूचकांकों की प्रवृत्तियां सारणी 8.5 में दी गयी हैं। विभिन्न फसलों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज की विकास दरों का विश्लेषण जो उनके सूचकों पर आधारित है, निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

सारणी 8.4 : कृषि उत्पादन 2010-11

(मिलियन टन)

फसल	दूसरा अग्रिम अनुमान 2010-11	लक्ष्य 2010-11	2010-11 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 2010-11 का प्रतिशत	2009-10 (अन्तिम अनुमान)	2009-10 की तुलना में 2010-11 में प्रतिशत परिवर्तन
चावल	94.01	102.00	92.17	89.09	5.52
गेहूं	81.47	82.00	99.35	80.80	0.83
मोटा अनाज	40.08	44.00	91.09	33.55	19.46
दालें	16.51	16.50	100.06	14.66	12.62
कुल खाद्यान्न	232.07	244.50	94.92	218.11	6.40
तिलहन	27.85	33.20	83.89	24.88	11.94
गन्ना	336.70	315.00	106.89	292.30	15.19
कपास*	33.93	26.00	130.50	24.22	40.09
जूट तथा मेस्ता**	10.08	11.50	87.65	11.82	-14.72

टिप्पणी: *प्रति 170 किग्रा. मिलियन गांठें **प्रति 180 किग्रा. मिलियन गांठें

सारणी 8.5 : क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज की यौगिक विकास दर

फसल	(वर्षत्रय आधार 1981-82= 100 सहित प्रतिशत प्रतिवर्ष अनुसार)					
	1980-81 से 1989-90			2000-01 से 2009-10		
	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज
चावल	0.41	3.62	3.19	-0.03	1.59	1.61
गेहूं	0.46	3.57	3.10	1.21	1.89	0.68
ज्वार	-0.99	0.28	1.29	-3.19	-0.07	3.23
बाजरा	-1.05	0.03	1.09	-0.42	1.68	2.11
मक्का	-0.20	1.89	2.09	2.98	5.27	2.23
रागी	-1.23	-0.10	1.14	-3.03	-1.52	1.57
कोदों	-4.32	-3.23	1.14	-5.28	-3.58	1.78
जौ	-6.03	-3.48	2.72	-1.41	-0.25	1.17
कुल मोटा अनाज	-1.34	0.40	1.62	-0.76	2.46	3.97
कुल अनाज	-0.26	3.03	2.90	0.09	1.88	3.19
चना	-1.41	-0.81	0.61	4.34	5.89	1.48
तुर	2.30	2.87	0.56	0.26	1.82	1.56
अन्य दालें	0.02	3.05	3.03	-0.34	-0.32	0.02
कुल दालें	-0.09	1.52	1.61	1.17	2.61	1.64
कुल खाद्यान्न	-0.23	2.85	2.74	0.29	1.96	2.94
गन्ना	1.44	2.70	1.24	0.77	0.93	0.16
तिलहन	1.51	5.20	2.43	2.26	4.82	3.79
कपास	-1.25	2.80	4.10	2.13	13.58	11.22

8.7 **चावल तथा गेहूं:** अस्सी के दशक के दौरान चावल के क्षेत्र में 0.41 प्रतिशत की मामूली बढ़त देखी गयी लेकिन उत्पादन तथा उपज में वृद्धि 3 प्रतिशत से ऊपर रही। 2000-01 से 2009-10 के दौरान स्थिति में परिवर्तन हुआ जबकि क्षेत्र में वृद्धि नकारात्मक हो गयी और उत्पादन तथा उपज क्रमश: 1.59 प्रतिशत तथा 1.61 प्रतिशत रहा। गेहूं के सम्बन्ध में भी, अस्सी के दशक के दौरान क्षेत्र में वृद्धि 0.46 प्रतिशत पर मामूली थी लेकिन उत्पादन तथा उपज में यह 3 प्रतिशत से अधिक थी। 2000-01 से 2009-10 के दौरान गेहूं के क्षेत्र वृद्धि 1.21 प्रतिशत तथा उत्पादन और उपज में क्रमश: 1.89 प्रतिशत तथा 0.68 प्रतिशत थी। इससे संकेत मिलता है कि इन दो फसलों में उपज का स्तर स्थिर रहा और उत्पादन तथा उत्पादकता में बढ़ोतरी हेतु नए सिरे से अनुसंधान करने की आवश्यकता है (चित्र 8.2 और 8.3)। क्षेत्र विस्तार की अड़चनों को देखते हुए, कोई अन्य विकल्प नहीं है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों में निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। चित्र 8.4 में 2003-04 से 2009-10 के दौरान चावल के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज और चित्र 8.5 में 2003-04 से 2009-10 के दौरान गेहूं के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज के सूचक में परिवर्तन दिखाता है।

चित्र 8.2 चावल के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज की यौगिक विकास दर

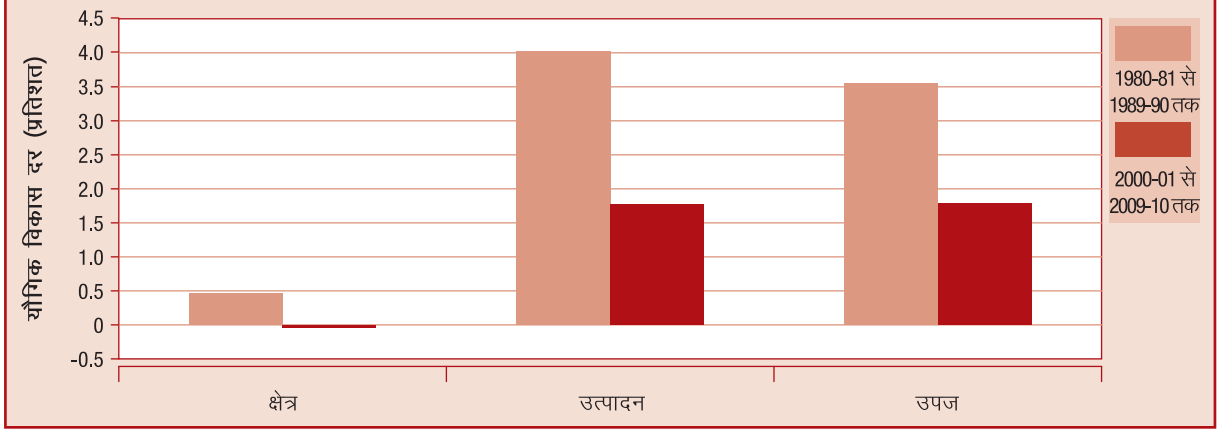

चित्र 8.3 गेहूं के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज की यौगिक विकास दर

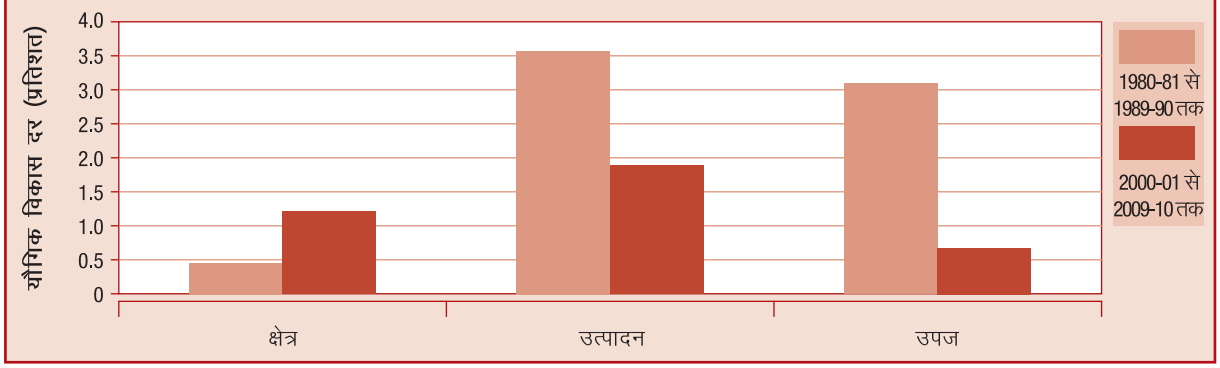

चित्र 8.4 चावल के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज सूचकांक

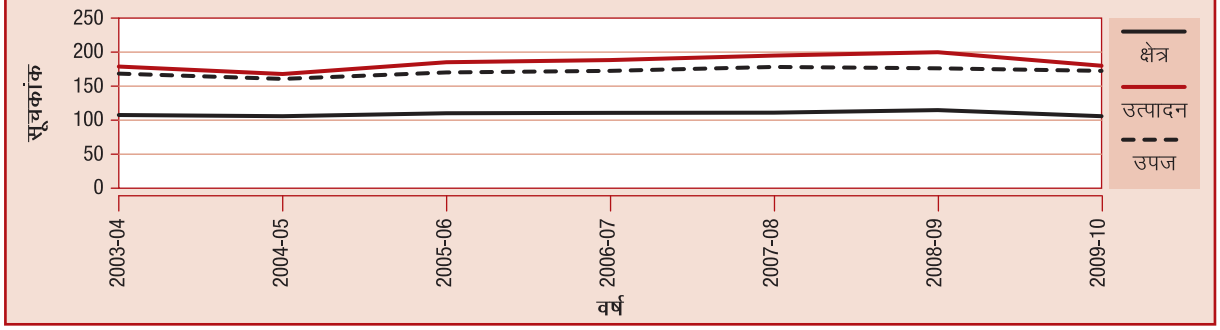

चित्र 8.5 गेहूं के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज सूचकांक

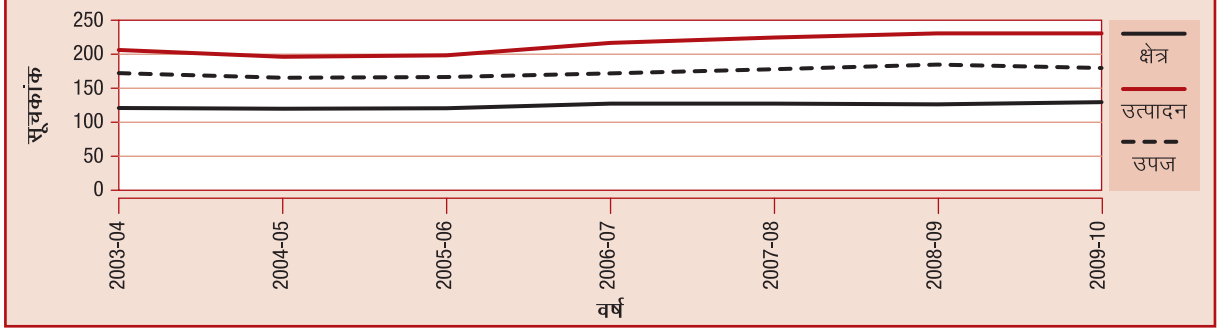

8.8 **मोटा अनाज:** मोटा अनाज के संदर्भ में स्थिति सर्वथा भिन्न है। चूंकि इन फसलों के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिकीय प्रगति नहीं हुई, इसलिए कुल मोटे अनाजों के क्षेत्र में विकास दर दोनों अवधियों में (1980-81 से 1989-90 और 2000-01 से 2009-10) नकारात्मक प्रदर्शित होती है। यह या तो अन्य फसलों की तरफ रूपानान्तरित हुई है या सापेक्ष रूप से शुष्क क्षेत्र खाली पड़ा रहा। सभी मोटे अनाजों के सम्बन्ध में मक्का को छोड़कर दोनों अवधियों के दौरान क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि देखी गयी जिसने 2000-01 से 2009-10 भी अवधि में 2.98 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की। तथापि, मोटा अनाज के सम्बन्ध में उत्पादन तथा उपज में वृद्धि जो अस्सी के दशक में क्रमश: 0.40 प्रतिशत तथा 1.62 प्रतिशत थी, उसमें 2000-01 से 2009-10 की अवधि में क्रमश: 2.46 प्रतिशत और 3.97 प्रतिशत का महत्वपूर्ण सुधार दिखायी दिया (चित्र 8.6)। यह वृद्धि मुख्यत: मक्का तथा बाजरा के कारण हुई। चित्र 8.7 में 2003-04 से 2009-10 के दौरान कुल मोटे अनाज का क्षेत्र उत्पादन तथा उपज के सूचकांक में परिवर्तनों को प्रदर्शित किया गया है। खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चय करने हेतु सभी मोटे अनाजों के उत्पादन तथा उत्पादकता को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रयासों की अपेक्षा है। (बाक्स 8.1)।

8.9 **दाल:** भारत में दालें बहुसंख्यक आबादी के लिए प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत हैं। देश में चना और तुर कुल दालों के उत्पादन में प्रमुख योगदान देते हैं। अस्सी के दशक के दौरान, दालों के अंतर्गत कुल क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि देखी गयी और इसके उत्पादन तथा उपज में वृद्धि क्रमश: 1.52 प्रतिशत तथा 1.61 प्रतिशत थी। 2000-2001 से 2009-10 के दौरान, जबकि क्षेत्र तथा उत्पादन में क्रमश: 1.17 प्रतिशत तथा 2.61 प्रतिशत भी वृद्धि हुई, जबकि 1.64 प्रतिशत पर उपज में वृद्धि लगभग उसी स्तर पर बनी

बाक्स 8.1 : मोटा अनाज

वर्तमान में भारत की खाद्य तथा पौषणिक सुरक्षा काफी हद तक गेहूं और चावल के उत्पादन पर निर्भर करती है। इन दो फसलों ने संयुक्त रूप से 2009-10 में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 78 प्रतिशत योगदान दिया जबकि इस वर्ष मोटे अनाजों का योगदान केवल 15 प्रतिशत रहा। मोटे अनाजों के अंतर्गत क्षेत्र में पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट प्रदर्शित की जबकि उनकी उपज ने मक्का को छोड़कर सभी प्रमुख मोटे अनाजों के क्षेत्र में गिरावट के बावजूद महत्वपूर्ण सुधार दिखाया। मोटे अनाजों का पौषणिक महत्व भी धीरे-धीरे महसूस किया जा रहा है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के पर्याप्त कारण हैं और अनुसंधान में वर्धित निवेश तथा विशेष रूप से वर्षापोषित क्षेत्रों में उनकी खेती को प्रोत्साहन देने संबंधी योजनाओं से उनकी पूर्ण उपयोगिता को अनुभव करने में मदद मिल रही है।

चित्र 8.6 मोटे अनाज के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज की यौगिक विकास दर

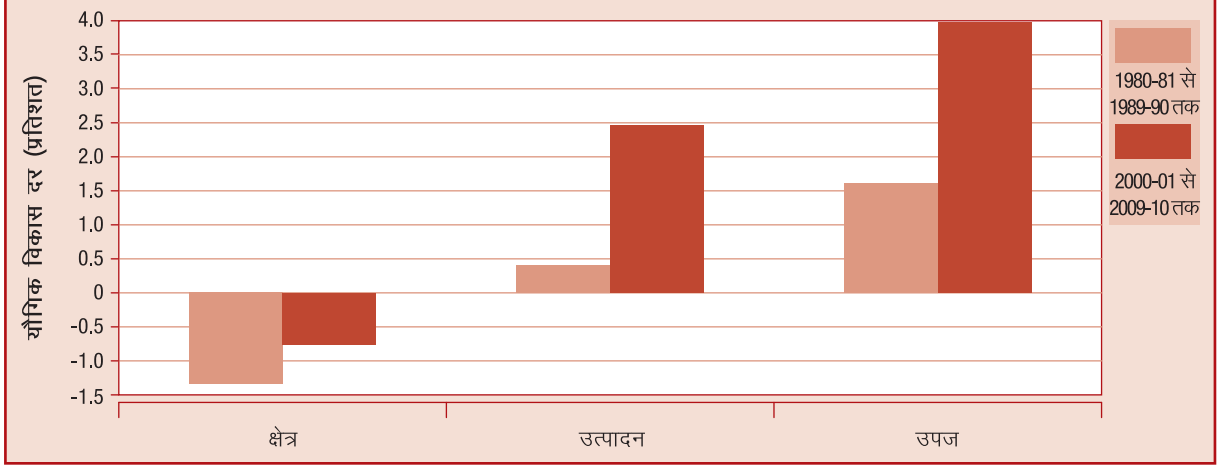

चित्र 8.7 मोटे अनाज के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज सूचकांक

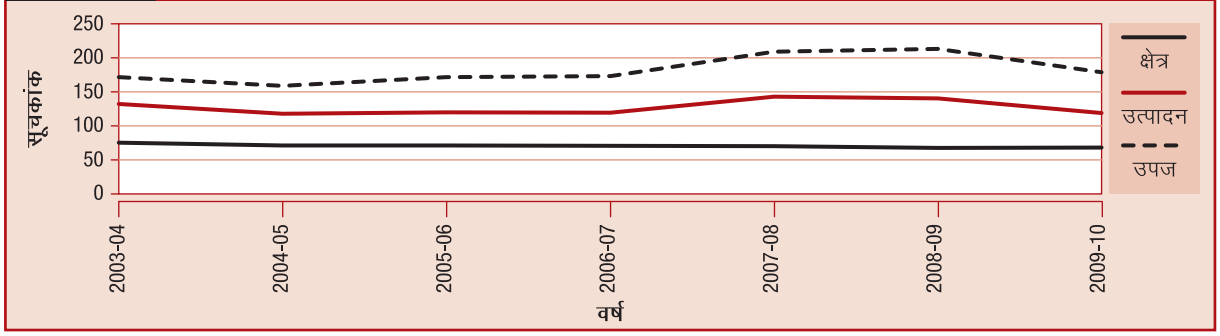

रही। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि उत्पादन में वृद्धि मुख्यत: क्षेत्र में वृद्धि के कारण थी (चित्र 8.8) इस जिंस की बढ़ती मांग के अनुरूप दावों के उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी खोज आवश्यक है। चित्र 8.9 2003-04 से 2009-10 के दौरान कुल दालों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज के सूचकांक में परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है।

8.10 **गन्ना:** 2000-01 से 2009-10 के दौरान गन्ने के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज की यौगिक वृद्धि दर अस्सी के दशक की तुलना में घटी। इस अवधि के दौरान उपज की वृद्धि दर में गिरावट क्षेत्र में वृद्धि दर में गिरावट की तुलना में उत्पादन की वृद्धि दर में सापेक्ष रूप से उच्च गिरावट की वजह से है (चित्र 8.10)। इस फसल की उपज दर में वृद्धि हेतु सामूहिक प्रयासों की जरूरत है ताकि उत्पादन में उतार-चढ़ाव और गन्ने की उच्च कीमतों से बचा जा सके। चित्र 8.11 में 2003-04 से 2009-10 के दौरान गन्ने के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज सूचकांक में परिवर्तनों को दिखाया गया है।

8.11 **तिलहन:** 2000-01 से 2009-10 के दौरान तिलहनों के अन्तर्गत उपज तथा क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि सूचकों में अस्सी के दशक की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया जिसके परिणामस्वरूप तिलहनों के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई। तथापि, भारत अभी भी खाद्य तेलों की अपनी आवश्यकताओं के एक बड़े भाग की पूर्ति आयात से करता है। (चित्र: 8.12)। इस फसल में आत्मनिर्भरता का विवेकसम्मत स्तर का सुनिश्चय करने हेतु मौजूदा वृद्धि दर को बनाए रखने की आवश्यकता है। चित्र 8.13 में 2003-04 से 2009-10 के दौरान तिलहनों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज सूचकांक में परिवर्तन दिखाया गया है।

8.12 **कपास:** कपास उपज में महत्वपूर्ण वृद्धि के फलस्वरूप इसमें अस्सी के दशक के दौरान के 2.80 प्रतिशत का उत्पादन से बढ़ोतरी होकर यह 2000-10 के दौरान प्रति वर्ष 13.58 प्रतिशत हो गया (चित्र 8.14)। चित्र 8.15 में 2003-04 से 2009-10 के

चित्र 8.8 कुल दालों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज की यौगिक विकास दर

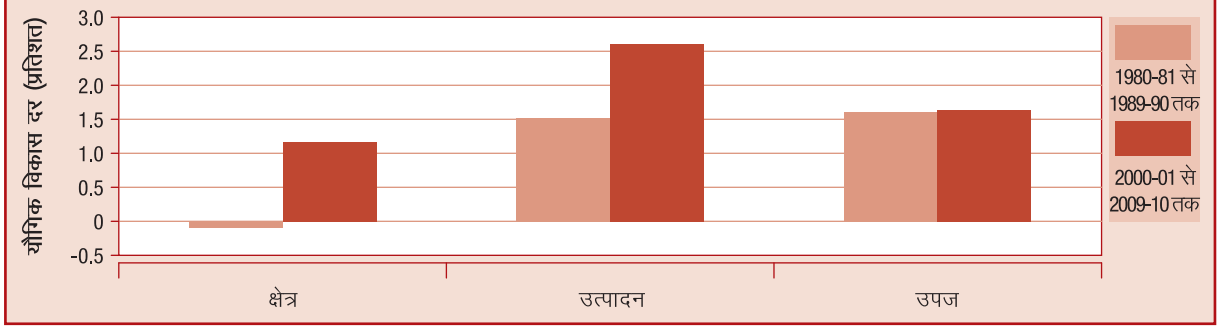

चित्र 8.9 कुल दालों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज सूचकांक

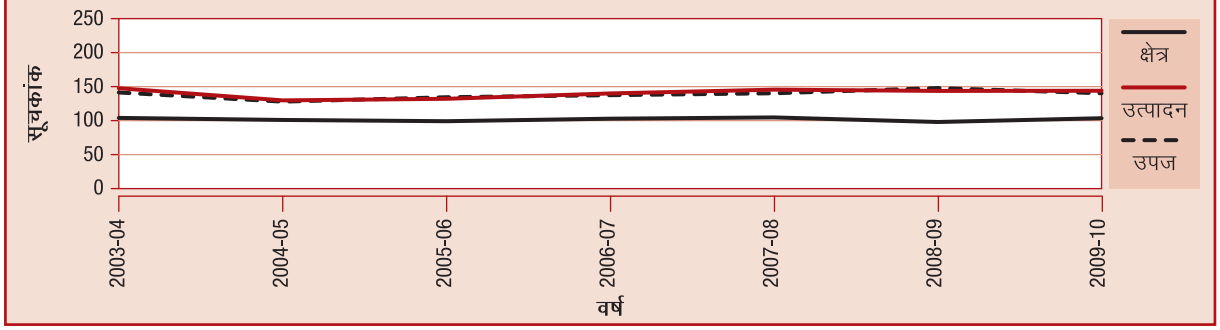

चित्र 8.10 गन्ना के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज की यौगिक विकास दर

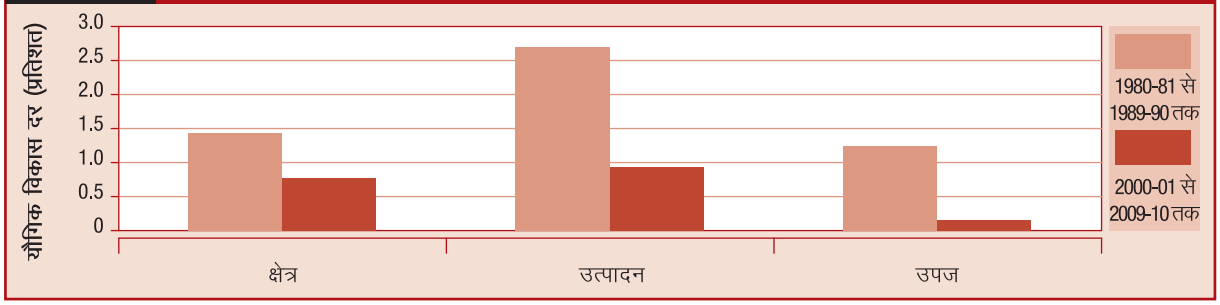

चित्र 8.11 गन्ना के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज सूचकांक

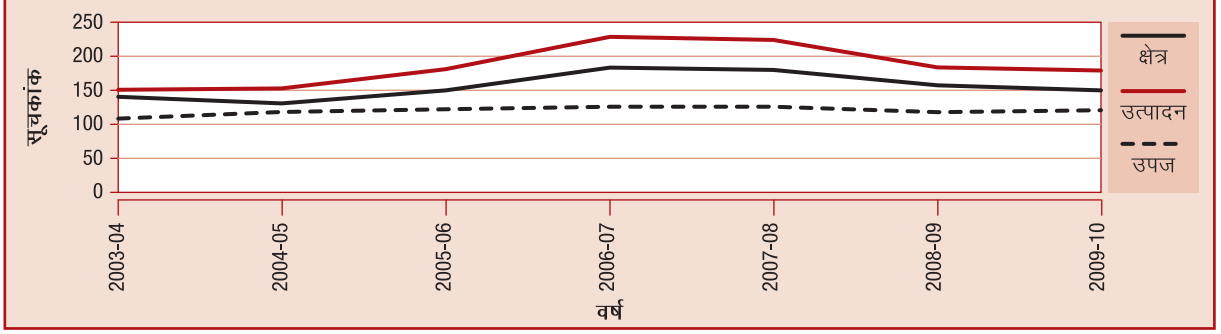

चित्र 8.12 तिलहन के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज की यौगिक विकास दर

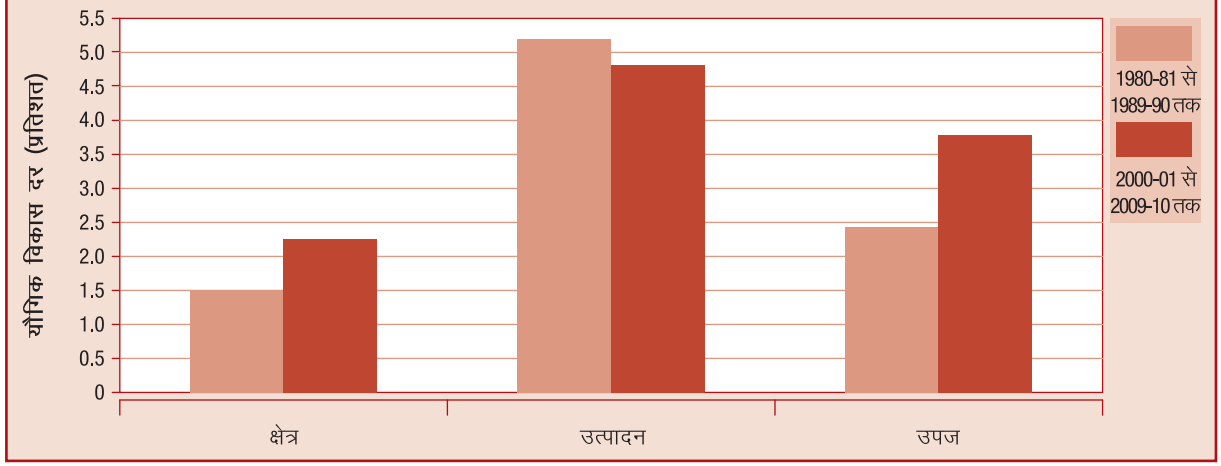

चित्र 8.13 तिलहन के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज सूचकांक

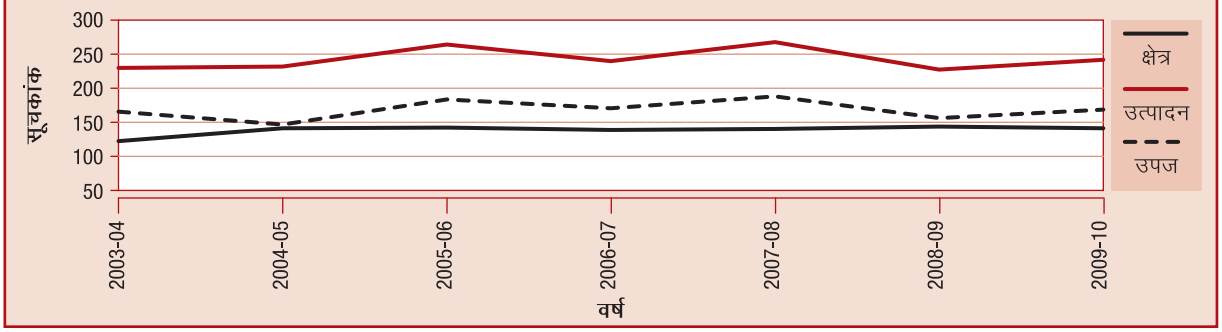

चित्र 8.14 कपास के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज की यौगिक विकास दर

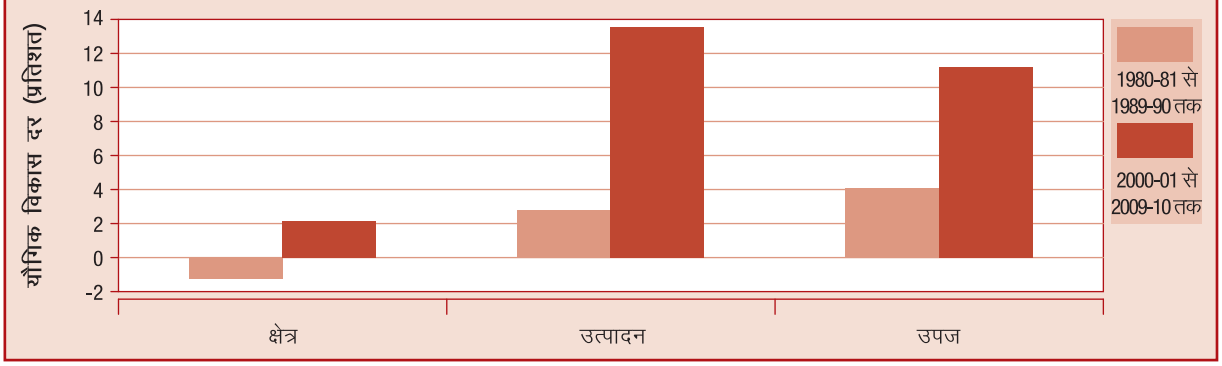

चित्र 8.15 कपास के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज सूचकांक

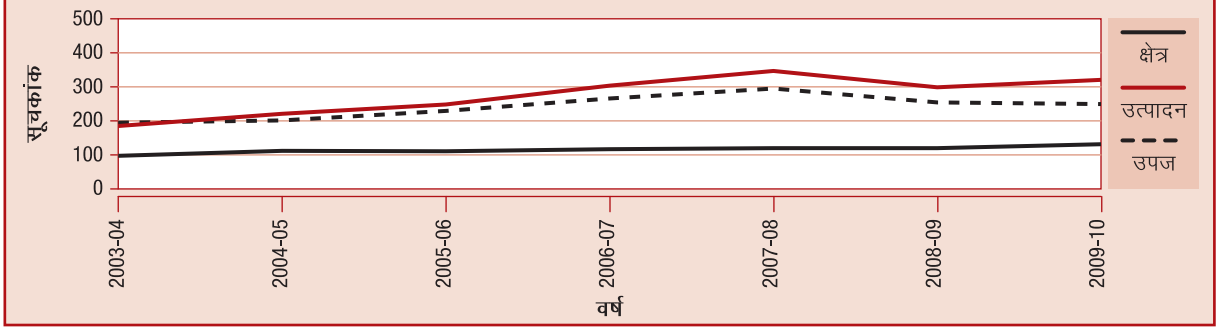

दौरान कपास के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज सूचकांक में परिवर्तनों को प्रदर्शित किया गया है।

2010-11 में क्षेत्र कवरेज

8.13 खरीफ 2010 के दौरान खाद्यान्न, तिलहन, गन्ना तथा कपास के अन्तर्गत कुल सस्यगत क्षेत्र खरीफ 2009 की तुलना में 2.33 लाख हेक्टेयर तक अधिक है। मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्रों अर्थात् बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति के कारण, खरीफ 2010 के दौरान चावल अन्तर्गत क्षेत्र लगभग 5.40 लाख हेक्टेयर तक कम है। जबकि मोटे अनाजों के अन्तर्गत क्षेत्र 3.42 लाख हेक्टेयर तक नीचे चला गया, वहीं दालो के अन्तर्गत क्षेत्र में 6.11 लाख हेक्टेयर की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। परिणामस्वरूप, खरीफ 2010 में खाद्यान्न के अन्तर्गत कुल क्षेत्र खरीफ 2009 की तुलना में 2.71 लाख हेक्टेयर तक मामूली कम है। तिलहनों के संबंध में, जबकि मूंगफली के अंतर्गत क्षेत्र 4 लाख हेक्टेयर तक ऊपर चला गया, वहीं तिल, सोयाबीन तथा सूर्यमुखी ने प्रति एकड़ कम उत्पादन दर्ज किया; परिणामस्वरूप, खरीफ 2010 के दौरान तिलहनों के अन्तर्गत समग्र क्षेत्र खरीफ 2009 से तुलना करने पर 8.27 लाख हेक्टेयर तक कम है। तथापि, गन्ने (6.53 लाख हेक्टेयर) तथा कपास (6.90 लाख हेक्टेयर) के अन्तर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार, खरीफ 2010 में फसल पैटर्न में कुल बदलाव दिखायी दिया।

निर्यात तथा आयात

8.14 घरेलू उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए, सरकार विशेष रूप से गेहूं, चावल तथा दालों के खाद्य मदों के निर्यात तथा आयात की अनुमति देती है। सरकार गेहूं पर आयात शुल्क को 9 सितम्बर, 2006 से घटाकर शून्य पर ले आयी है ताकि इसकी आपूर्ति बढ़ायी जा सके। गेहूं पर निर्यात को 8 अक्तूबर, 2007 से प्रतिबंधित कर दिया है। आधा मशीन कूटे अथवा पूर्णत: मशीन कूटे चावल पर आयात शुल्क को घटाकर 20 मार्च 2008 से शून्य कर दिया गया है ताकि इसकी आपूर्ति बढ़ायी जा सके। गैर-बासमती चावल के निर्यात को 15 अक्तूबर 2007 से प्रतिबंधित कर दिया है, केवल 7 दिसम्बर, 2009 से जैविक गैर-बासमती चावल के प्रतिवर्ष 10,000 टन के निर्यात की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा, गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति राजनयिक/मानवीय आधार पर दी गयी है। बासमती चावल के निर्यात की अनुमति प्रति टन 900 अमरीकी डालर अथवा 41,400 प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के साथ दी गयी है। सरकार ने दालों पर आयात शुल्क को घटाकर 8 जून, 2006 से शून्य कर दिया है ताकि उनकी आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। काबुली चना को छोड़कर दालों के निर्यात की अनुमति को 1 अप्रैल, 2008 से प्रतिबंधित कर दिया है।

कृषि निविष्टियां

8.15 कृषि निविष्टियां उपज स्तरों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और इस वजह से दीर्घकाल में उत्पादन का स्तर बढ़ता है। उपज में सुधार प्रौद्योगिकी के उपयोग, उन्नत बीजों का उपयोग, उर्वरक, कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा सिंचाई पर निर्भर करता है।

बीज

8.16 बीज कृषि की सतत् वृद्धि की एक महत्वपूर्ण निविष्ट है। भारत में प्रत्येक पांच किसानों में से एक किसान खेत से बचाए गए बीजों पर भरोसा करता है जिससे बीज की निम्न वापसी दर प्राप्त होती है। इसलिए केन्द्र सरकार इस मुद्दे का समाधान विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के जरिए कर रही है। भारतीय बीज कार्यक्रम में केन्द्र और राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ-साथ इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालय, सहकारी समितियां और निजी क्षेत्र तथा किसान और प्लांट ब्रीडर शामिल हैं। प्रजनक, आधार बीजों का उत्पादन और प्रमाणित बीजों के वितरण का वर्षवार ब्यौरा सारणी 8.6 में दिया गया है।

8.17 कृषि मंत्रालय 2005-06 केन्द्रीय क्षेत्र विकास तथा उत्पादन और गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण की योजना सम्बन्धी ढांचागत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि किसानों को विभिन्न फसलों के गुणवत्ता बीज वहनीय कीमत पर

सारणी 8.6 : प्रजनक और आधार बीजों का उत्पादन और प्रमाणित बीजों का वितरण

वर्ष	प्रजनक बीज (क्विंटल) का उत्पादन	आधार बीजों का उत्पादन (लाख क्विंटल)	प्रमाणित/ गुणवत्ता बीजों वितरण (लाख क्विंटल)
2004-05	66,460	6.9	113.10
2005-06	68,654	7.4	126.74
2006-07	73,829	7.96	155.01
2007-08	91,960	8.22	179.05
2008-09	74,361	9.69	215.81
2009-10	94,410	11.46	257.11
			(प्रत्याशित)

स्रोत : कृषि एवं सहकारिता विभाग।

और समय पर उपलब्ध हो सकें। इस योजना में प्रमुख जोर कृषि कार्य में बचाए गए बीजों की बीज ग्राम कार्यक्रम के जरिए बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने, निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को बढ़ावा देने और बीज उत्पादन बढ़ाने में सहायता देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की बीज कम्पनियों को सहायता प्रदान करने के लिए बीज गुणवत्ता में सुधार करने पर है। 2005-06 से इस योजना के प्रारंभ से सम्पूर्ण देश में 1,31,023 बीज ग्रामों को कवर किया जा चुका है तथा 2009-10 तक 183.10 लाख क्विंटल प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों का उत्पादन किया गया है जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस प्रयास को प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है।

8.18 निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता घटक के अन्तर्गत परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की ऋण सम्बद्ध अंतिम भाग पूंजी सब्सिडी 25 लाख प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अधीन बीज ढांचागत विकास हेतु उपलब्ध करायी जाती है। गुणवत्ता बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिए ढांचागत सुविधाओं की स्थापना/मजबूती के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा राज्य बीज निगमों को बीजों की सफाई, ग्रेडिंग, शोधन तथा पैकिंग हेतु बीज प्रसंस्करण संयंत्रों तथा मशीनरी हेतु सुविधाओं के सृजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। बीज प्रसंस्करण संयंत्रों को निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है। नई दिल्ली में नवम्बर 2005 में स्थापित पौध किस्म संरक्षण तथा किसान अधिकार प्राधिकरण (पीपीवी एंड एफआर) को पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु अधिदेशित किया गया है।

8.19 कृषि विकास के संवर्धन में बीज क्षेत्र के महत्व को देखते हुए मौजूदा बीज अधिनियम, 1966 को कृषि मंत्रालय द्वारा उपयुक्त विधान के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। नए अधिनियम से यह प्रत्याशा है कि इससे (i) बीज उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल पैदा होगा, (ii) विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों में बढ़ोतरी होगी, (iii) बीजों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और उपयोगी जनन द्रव्य के आयात को बढ़ावा मिलेगा तथा (iv) विविध विकास में फ्रंटियर विज्ञान के अनुप्रयोग और अनुसंधान तथा विकास में वर्धित निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। वर्ष 2004 में बीज विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया। इस कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया और समिति ने वर्ष 2008 में इस विधेयक में अनेक परिवर्तनों की सिफारिश की। इस पर आगे विचार किया जाएगा।

उर्वरक

8.20 भारत अपनी यूरिया आवश्यकता की 85 प्रतिशत भाग की पूर्ति स्वदेशी उत्पादन से कर रहा है लेकिन अपनी फास्फेट तथा पोटाश उर्वरक आवश्यकताओं हेतु आयात पर निर्भर है। यूरिया, फास्फेट तथा पोटाश उर्वरकों के 21 ग्रेड तथा एनपीके (नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटाश) सम्मिश्र उर्वरकों के 15 ग्रेड किसानों को सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। किसान वास्तविक लागत का केवल 25 से 40 प्रतिशत भुगतान करते हैं और शेष लागत सरकार द्वारा सब्सिडी रूप के वहन की जाती है जिसकी प्रतिपूर्ति विनिर्माताओं/आयातकों को की जाती है।

उत्पादन

8.21 वर्ष 2009-10 में यूरिया, डि-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) और सम्मिश्र उर्वरक का घरेलू उत्पादन 2008-09 की तुलना में बढ़ गया है। यूरिया का उत्पादन 2010-11 में 215.37 लाख टन अनुमानित है और डीएपी तथा सम्मिश्र उत्पादन क्रमशः 39.58 लाख टन तथा 91.66 लाख टन है (सारणी 8.7)। उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि की एक बड़ी बाधा कच्ची सामग्री/मध्यवर्ती वस्तुओं की अनुपलब्धता है।

8.22 उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा में समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यूरिया तथा अन्य उर्वरकों का समय पर आयात करने का प्रबन्ध किया गया (सारणी 8.8)

सारणी 8.7 : यूरिया, डीएपी तथा सम्मिश्र उर्वरकों का उत्पादन

(लाख टन)

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
यूरिया	203.10	198.60	199.20	211.12	215.37
डीएपी	48.52	42.12	29.93	42.46	39.58
सम्मिश्र उर्वरक	74.64	58.50	68.48	80.38	91.66

टिप्पणी: *अनुमानित

सारणी 8.8 : यूरिया, डीएपी तथा एमओपी का आयात

(लाख टन)

	यूरिया	डीएपी	एमओपी
2006-07	47.18	28.76	34.48
2007-08	69.28	29.90	44.20
2008-09	56.67	61.91	56.72
2009-10	52.09	58.89	52.86
2010-2011*	45.83	68.12	47.84

टिप्पणी: * (अप्रैल-नवम्बर, 2010)
डीएपी: डाइ-अमोनियम फास्फेट
एमओपी: मुरिएट ऑफ पोटाश

8.23 कृषि क्षेत्र के विकास में रासायनिक उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में, पोषक तत्वों के सन्दर्भ में उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत बढ़ती जा रही है (सारणी 8.9)।

8.24 उर्वरक क्षेत्र में महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की गयी है। जिनमें से कुछ हाल में की गयी पहल इस प्रकार है:

(i) 1 अप्रैल, 2010 से पोषण आधारित सब्सिडी योजना का प्रारम्भ किया गया है। पोषण आधारित सब्सिडी योजना के अन्तर्गत सरकार ने पौषणिक एन, पी, के और पी तथा के में निहित एस की प्रति किग्रा. सब्सिडी तथा उर्वरकों की प्रति मीट्रिक टन सब्सिडी को संशोधित किया है। विनियंत्रित पीएण्डके उर्वरकों के अधिकाधिक खुदरा कीमतों (एमआरपी) को खुला रखा गया है तथा कंपनियों को अपने एमआरपी को घोषित करने की स्वतंत्रता है। तथापि, उर्वरकों के विनिर्माताओं/आयातकों के लिए अपेक्षित है कि वे प्रत्येक उर्वरक बैग पर प्रयोज्य एनबीएस के साथ एमआरपी मुद्रित करें। ऐसा न करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

(ii) एक समान भाड़ा सब्सिडी नीति की घोषणा की गयी है जिसके तहत यूरिया के लिए रेल भाड़ा वास्तविक तथा सड़क भाड़ा सामान्य औसत दर पर भुगतान किया जाता है।

सारणी 8.9 : पोषक तत्वों के संबंध में उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत

(लाख टन)

उत्पादक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*
नाइट्रोजन (एन)	137.73	144.19	150.90	155.80	80.56
फास्फेटिक (पी)	55.43	55.15	65.06	72.74.	41.72
पोटास (के)	23.35	26.36	33.13	36.32	17.13
जोड़ (एन+पी+के)	216.51	225.70	249.09	264.86	139.41
प्रति हेक्टेयर खपत (कि.ग्रा.)	111.8	116.50	127.2	135.3	

टिप्पणी : *अनुमानित खरीफ 2010 से सम्बद्ध

(iii) सरकार ने एनबीएस के तहत सम्मिश्र उर्वरकों की तीन नई श्रेणियां शामिल की हैं।

(iv) उर्वरकों का वितरण तथा आवाजाही को ऑनलाइन वेब आधारित-उर्वरक मॉनीटरिंग प्रणाली के जरिए मॉनीटर किया जाता है जिससे सभी राज्यों में उर्वरकों के आयात, उत्पादन, आवाजाही, उपलब्धता, वितरण तथा बिक्री का पता लगता है।

(v) सरकार ने उर्वरक विभाग के संचलन नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत विनियंत्रित पीएण्डके उर्वरक की 20 प्रतिशत भाग को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अनुसार इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर रखा है जिससे दुर्गम क्षेत्रों में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

(vi) सम्मिश्र उर्वरक के विनिर्माताओं को सरकार द्वारा विनिर्माताओं/ आयातकों से जिलों में उनकी रसीद प्राप्त होने के बाद से सब्सिडी प्राप्त उर्वरक लेने की अनुमति दी गयी है

(vii) सरकार ने डीएपी तथा एमओपी के निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है ताकि उसका निर्यात हतोत्साहित हो और गैरकानूनी तरीके से उसका विपर्यय न हो।

सिंचाई

8.25 उत्पादकता बढ़ाने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण निविष्टियों में सिंचाई एक है जो विभिन्न फसलों के पादप विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण चरणों में आवश्यक है। भारत सरकार ने सार्वजनिक निधि पोषण के जरिए सिंचाई की संभावनाओं का सृजन और किसानों को उनके अपने खेतों में संभावनाओं के सृजन में सहायता की जिम्मेवारी ली है। वृहत और मध्यम सिंचाई योजनाओं के जरिए सिंचाई की पर्याप्त संभावनाओं का सृजन किया गया है। देश में सिंचाई की कुल संभावना वर्ष 1991-92 के 81.1 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर मार्च 2010 तक 108.2 मिलियन हेक्टेयर हो गई है।

8.26 केन्द्र सरकार ने अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं सहायता हेतु पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसी सहायता जो आरंभ में केन्द्र से पूर्णत: ऋण के रूप में प्रदान की जाती थी, में वर्ष 2004-05 से अनुदान संघटक का समावेश कर संशोधन किया गया है। एआईबीपी दिशा-निर्देशों को दिसम्बर 2006 में और संशोधित किया गया जिसका उद्देश्य विशेष श्रेणी के राज्यों, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) जनजातीय क्षेत्रों/बाढ़ संभावित क्षेत्र और उड़ीसा के कोरापुट-बोलनगीर-कालाहांडी (केबीके) जिलों को अनुदान के रूप में परियोजना लागत की 90 प्रतिशत की वर्धित सहायता

प्रदान करना है। एआईबीपी के तहत 41,729.37 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान 31 मार्च, 2010 तक जारी किया गया है। 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार, एआईबीपी के तहत 281 परियोजनाओं को कवर किया गया तथा 120 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। 2009-10 के दौरान बड़ी/मध्यम/लघु सिंचाई योजनाओं से 9.82 लाख हेक्टेयर की सिंचाई संभावना का अनुमान है।

वर्षा और जलाशय स्तर

8.27 भारत में वर्षा फसल उत्पादन और उत्पादकता को अत्यधिक प्रभावित करती है क्योंकि कृषि आज भी भारी मात्रा में वर्षापोषित है। वार्षिक वर्षा का 75 प्रतिशत से अधिक भाग दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु (जून-सितम्बर) के दौरान प्राप्त होता है। वर्ष 2010 के दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान देश में दीर्घावधि औसत (एलपीए) की तुलना में समग्र रुप से 2 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई। मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत, और दक्षिणी प्रायद्वीप में क्रमशः 4 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, और 17 प्रतिशत कम वर्षा हुई। पूर्वोत्तर भारत में एलपीए की तुलना में 18 प्रतिशत कम वर्ष हुई। जिला स्तर पर देश के 28 प्रतिशत जिलों में अधिक वर्षा हुई, 41 प्रतिशत में सामान्य, 29 प्रतिशत में कम तथा 2 प्रतिशत में बहुत कम वर्षा हुई। 36 मौसमी उपमंडलों में से 5 में दक्षिण पश्चिम मानसून 2010 के दौरान कम वर्षा दर्ज की गई, शेष 31 उपमंडलों अत्यधिक/सामान्य वर्षा दर्ज की गई। 597 मौसमी जिलों में से जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, में से 413 जिलों (69 प्रतिशत) में अत्यधिक/सामान्य वर्षा दर्ज की गई और शेष 184 जिलों (31 प्रतिशत) में कम/बहुत कम वर्षा दर्ज की गई। 2001-10 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम (जून से सितम्बर) निष्पादन सारणी 8.10 में दिया गया है।

जलाशय भण्डारण स्थिति

8.28 देश में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मॉनिटर किए जाने वाले 81 प्रमुख जलाशयों के पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) में कुल भंडारण क्षमता 151.77 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है। मानसून 2010 के अंत में इन जलाशयों की कुल जल उपलब्धता 115.23 बीसीएम थी जो वर्ष 2009 के मानसून के अंत की 89.84 बीसीएम और 100.25 बीसीएम से ज्यादा है तथा जो पिछले 10 वर्षों का औसत है।

कृषि उपज मूल्य नीति

8.29 कृषि वस्तुओं के लिए मूल्य नीति का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्यों को सुनिश्चित करना है जिससे कि अधिक निवेश और उत्पादन हो तथा साथ ही यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा उचित मूल्यों पर आपूर्ति के साथ करे। इस मूल्य नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिदृश्य में संतुलित और एकीकृत मूल्य ढांचे का विकास करना भी है। इस संबंध में सरकार प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए प्रत्येक ऋतु में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है और खरीद कार्यों का आयोजन करती है। नामित केन्द्रीय केन्द्रक अभिकरण खरीद संक्रियाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए बाजार में

सारणी 8.10 : मानसून निष्पादन : 2001-2010 (जून-सितम्बर)

वर्ष	मौसमी उपमण्डलों की संख्या			सामान्य/ अत्यधिक वर्षा वाले जिलों का प्रतिशत	समग्र रूप से देश की औसत लम्बी अवधि की वर्षा का प्रतिशत
	सामान्य	अत्यधिक	कम/बहुत कम		
2001	29	1	5	67	92
2002	14	1	21	39	81
2003	26	7	3	77	102
2004	23	0	13	56	86
2005	23	9	4	72	99
2006	20	6	10	60	99
2007	17	13	6	72	105
2008	30	2	4	76	98
2009	10	3	23	41	77
2010	17	14	5	69	102

स्रोत: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
टिप्पणी: अत्यधिक: *एलपीए का 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक; सामान्य: एलपीए से *19 प्रतिशत से -19 प्रतिशत
कम: एलपीए का -20 प्रतिशत से -59 प्रतिशत बहुत कम: एलपीए का -60 प्रतिशत से -99 प्रतिशत

हस्तक्षेप करते हैं जिसका उद्देश्य यह होता है कि बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से नीचे न गिरें। पिछले वर्षों में एमएसपी में काफी बढोतरी की गयी है ताकि किसानों को अपनी फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रेरित हैं। इन कार्यकलापों के निष्पादन में काफी लागत आती है जिससे अर्थव्यवस्था पर भारी राजकोषीय दबाव पड़ता है। 2009-10 तथा 2010-11 की खरीफ तथा रबी फसलों का एमएसपी सारणी 8.11 में दिया गया है।

8.30 इसके अलावा, सरकार ने खोपरा, कच्चा जूट, छिलके रहित नारियल जैसे वाणिज्यिक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अधिसूचित कर दिया है। 2010 के मौसम के लिए मिलिंग खोपरा और बाल खोपरा की शुद्ध औसत गुणवत्ता का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमश: 4450 रूपए प्रति क्विंटल और 4700 रूपए प्रति क्विंटल पर निर्धारित कर दिया गया है। 2010 के मौसम के लिए छिलके रहित नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 12 रूपए प्रति किलो, 2010-11 के मौसम के लिए एक्स-असम कच्ची जूट की टीडी-5 किस्म के लिए 1575 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिए गए और 2011-12 में विपणन किए जाने वाले 2010-11 की एफएक्यू किस्म की तोरिया के लिए 1780 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित है।

सारणी 8.11 : न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

	2009-10	2010-11	2010-11 और 2009-10 कीमतों के बीच अन्तर (रुपए में)
खरीफ फसलें			
चावल (सामान्य)	950	1000	50
चावल (ग्रेड ए)	980	1030	50
ज्वार (संकर)	840	880	40
ज्वार (मालिन्दी)	860	900	40
बाजरा	840	880	40
मक्का	840	880	40
रागी	915	965	50
अरहर (तूर)	2300	3000*	700
मूंग	2760	3170*	410
उड़द छिलका सहित	2520	2900*	380
मूंगफली	2100	2300	200
सूर्यमुखी	2215	2350	135
सोयावीन (काला)	1350	1400	50
सोयाबील (पीला)	1390	1440	50
तिल	2850	2900	50
रामतिल	2405	2450	45
कपास (एफ-414/एच-777/जे34)	2500	2500	0
रबी फसल			
गेहूं	1100	1120	20
जौ	750	780	30
चना	1760	2100	340
मसूर (लेंटिल)	1870	2250	380
रेपसीड/सरसों	1830	1850	20
कुसुम्भ	1680	1800	120

टिप्पणी: *तूर, मूंग और उड़द के लिए 5 रुपया प्रति कि.ग्रा. की दर पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी उपलब्ध है जो अधिप्राप्ति एजेंसियों को दो माह की फसल/फसल आवक अवधि के दौरान बेचा गया।

8.31 वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन ऑपरेशनों को कार्यान्वित करने वाली केन्द्रीय नॉडल एजेन्सी भारत राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लि॰ ने नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए बाजारों में प्रवेश किया था और 2010 मौसम के उनके न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कम थोक मूल्य के रूप में 4 अक्टूबर 2010 तक मिलिंग खोपरा 44,418 क्विंटल और बॉल खोपरा 480 क्विंटल की अधिप्राप्ति की। विपणन मौसम 2010-11 के दौरान, टीडी-5 ग्रेड कच्ची जूट का मासांत होलसेल मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक था और इसलिए मूल्य समर्थन योजना के तहत कोई अधिप्राप्ति नहीं हुई।

कृषि क्षेत्र में योजना/कार्यक्रम

8.32 कृषि राज्य का विषय है। अत: कृषि उत्पादन बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने और अप्रयुक्त विस्तृत संभावना के दोहन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित और केन्द्र क्षेत्र की बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। मुख्य योजनाओं/कार्यक्रम इस प्रकार है:

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन

8.33 चूंकि कृषि उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन का बुरा असर पड़ता है, अत: कृषि गतिविधि का ग्लोबल वार्मिंग में योगदान है। पारिस्थितिकी कृषि धारण, जो प्राकृतिक पुनर्जनन प्रक्रियाओं को एकीकृत करती है, गैर-नवीकरण निवेश को कम करता है और जैव विविधता को बढ़ावा देता है, उसमें उत्सर्जन घटाने की भारी संभावना रहती है और यह मिट्टी कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देती है। इसी समय कई पारिस्थितिकीय कृषि प्रक्रियाएं भी जलवायु परिवर्तन के लिए धारणीय प्रभावी कार्ययोजनाओं का भाग होती है जो विकासशील देशों के लिए प्राथमिकता है। इसके लिए निवेश और नीति सहायता आवश्यक है जो इस उत्पादकता और कृषि के सतत् रूप को समर्पित हो। भारतीय कृषि के जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पहचानते हुए राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एनएमएसए) जो जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के तहत आठ मिशनों में से एक है, को तैयार किया गया है। यह खाद्य सुरक्षा, आजीविका अवसरों को बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थायित्व में योगदान सुनिश्चित करने वाली उचित अनुकूलन और प्रशासन कार्य योजनाएं सुझाकर जलवायु परिवर्तन के जोखिमों के संदर्भ में 'सतत् कृषि' संबंधी मुद्दे हल करती है। चूंकि शुष्क-भूमि कृषि संवर्धन अकाल और कीट प्रतिरोधी फसल किस्मों का उचित विकास कर और संस्थागत सहायता पर्याप्तता सुनिश्चित कर प्राथमिक महत्व प्राप्त करेगा, अत: मिशन पशुधन और मात्स्यिकी के साथ कृषि प्रणालियों को स्वीकृत करने के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों तक इसके कवरेज का विस्तार करेगा ताकि कृषि का सतत तरीके से विकास है। मिशन सतत कृषि प्रक्रियाओं के संवर्धन के दस मुख्य आयामों की पहचान करता है जिसका कार्यान्वयन कार्रवाई कार्यक्रम का निष्पादन कर (पीओए) किया जाएगा। मिशन आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए पारम्परिक ज्ञान और कृषि धरोहर का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

8.34 पीओए, चुनिंदा अस्केलिंग और प्रक्रिया सुधार उपायों के माध्यम से चालू अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) सहित मुख्य योजनाओं में अनुकूलन और प्रशमन कार्ययोजनाओं द्वारा प्रचालित किया जाएगा। बाद में, इसकी सहायता नए कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप शुरू कर और क्षेत्र पार मुद्दों को हल करने के लिए संस्थानीकरण जुड़ावों के लिए अन्य राष्ट्रीय मिशनों की अभिकेन्द्रीता और मुख्य मंत्रालयों/विभागों के साथ सहयोग प्राप्त कर करेंगे।

कृषि वृहत् प्रबन्धन

8.35 कृषि वृहत प्रबन्धन योजना (एमएमए) में संशोधन 2008 में कृषि उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि के संबंध में राज्यों के प्रयासों में मदद देने में अपनी क्षमता सुधारने और नवीन संघटकों के संसाधनों के 20 प्रतिशत उपयोग की लोचशीलता के साथ फसल उत्पादन और प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन संबंधी उनके कृषि विकास कार्यक्रमों के उपयोग के लिए अवसर प्रदान करने हेतु किया गया। संशोधित एमएमए योजनाएं फार्मूला आधारित आवंटन श्रेणी में हैं और पूर्वोत्तर राज्यों व संघ केन्द्र का हिस्सा 100 प्रतिशत है, को छोड़कर राज्यों/संघ राज्यों को 90:10 आधार पर अनुदान रूप में सहायता प्रदान करती है। 2010-11 के दौरान एमएमए सहायता, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र जलसंभर विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए) के तहत 3.02 लाख हेक्टेयर भूमि और नदी घाटी परियोजनाओं (आरवीपी) उप-योजनाओं के तहत 1.94 लाख हेक्टेयर को संसाधित करने तथा अन्य कृषि मशीनरी में 10,208 ट्रेक्टरों और 5766 पावर ट्रीलरों की प्राप्ति के वित्तपोषक के लिए उपयोग हुई।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

8.36 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चावल, गेहूं तथा दालों का उत्पादन क्रमश: 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन तथा 2 मिलियन टन बढ़ाने की दृष्टि से रबी 2007-08 में एनएफएसएम प्रारम्भ किया गया। मिशन का उद्देश्य क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता के जरिए उत्पादन में वृद्धि करना, रोजगार अवसरों का सृजन और किसानों का विश्वास भी

पुनर्बहाली-हेतु कृषि स्तरीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना था। एनएफएसएम वर्तमान में देश के 17 राज्यों में 476 पहचान किए गए जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा 2010-11 से दाल उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए एनएफएसएम के तहत दलहन फसलों के पर्याप्त संवर्धन के कार्यकलापों को अपनाया गया है। ये है:

(i) तिलहन, दाल, ऑइलपाम और मक्का (आईएसओपीओएम) एकीकृत योजना के दाल संघटक को एनएफएसएम में मिला दिया गया है ताकि दाल कार्यक्रम का कवरेज क्षेत्र बढ़ सके। झारखंड और असम में चूंकि चावल की परती भूमि में दाल संवर्धन की अत्यधिक संभावना है, अत: इन्हें इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया है।

(ii) एनएफएसएम के तहत नए कार्यक्रम त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी) के माध्यम से तकनीकी के 1000 ब्लॉक प्रदर्शनों को 2010-11 से शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम पांच मुख्य दलहन फसलों अर्थात् तुर, मूंग, उड़द, चना और मसूर के प्रत्येक 1000 हेक्टेयर के सघन खण्डों में पौध पोषक तत्वों और पौध संरक्षण केन्द्रित तकनीकियों का निश्चित रूप से संवर्धन करेगा।

8.37 एनएफएसएम के तहत केन्द्रित और लक्ष्योन्मुख तकनीकी मध्यस्थता अपनी शुरूआत से ही महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी है और 2008-09 और 2009-10 में चावल और गेहूं उत्पादन में वृद्धि में लक्षित हुआ।

8.38 2010-11 से, नई पहल के रूप में ए3पी एनएफएसएम दालों के भाग के रूप में शुरू हुआ। ए3पी के तहत, तुर, उड़द, मूंग, चना और मसूर सहित संभावित दलहन क्षेत्र का एक मिलियन हेक्टेयर सघन खण्डों में तकनीकी के बड़े स्तर पर प्रदर्शन के लिए लिया गया है। तुर, उड़द, मूंग, चना और मसूर की कुल 600 ए3पी इकाइयां 2010-11 से प्रस्तावित है। किसानों के खेतों में ए3पी इकाइयों के संचालन के लिए 54.66 लाख रुपए की राशि प्रति इकाई प्रस्तावित की गई है।

8.39 इसके अलावा, वर्षा सिंचित क्षेत्र में 60,000 दलहन और तिलहन गांवों में शुष्क भूमि कृषि संवर्धन के लिए केन्द्रीय बजट 2010-11 में 300 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। आंध प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को चालू आरकेवीवाई के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में ये निधियां प्रदान की गई है।

8.40 अन्य कार्यक्रम, अर्थात् 'पूर्वोत्तर राज्यों में हरित क्रांति लाना', सात राज्यों–उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में चल रहा है। इन राज्यों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किए गए दलहन संवर्धन कार्य योजना और अन्य पहलों के अलावा, चावल विकास और दलहन और तिलहन ग्रामों का संचालन अन्य कार्यक्रम है।

8.41 राज्यों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट 2007-08 से 2010-11 (आज तक) के दौरान चार वर्षों में इसके कार्यान्वयन के दौरान एनएफएसएम के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संकेत करती है। नवीन कृषि प्रक्रियाओं को उन्नत प्रक्रिया पैकेज के 3.24 लाख प्रदर्शनों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। चावल सघनीकरण प्रणाली (एसआरआई) के 63,273 प्रदर्शनों और संकट चावल के 32,344 प्रदर्शनों को संचालित किया गया है। चावल, गेहूं और दलहन की उच्च उत्पादक किस्मों के बीच और संकर चावल के लगभग 96.84 लाख क्विंटल का वितरण किया गया। लगभग 72.27 लाख हेक्टेअर क्षेत्र को उच्च उत्पादकता के लिए मृदा उर्वरकता लाने के लिए मृदा सुधारकों जैसे जिप्सम/चूना/सूक्ष्म पोषकों से संसाधित किया गया है। लगभग 29.25 लाख हेक्टेअर क्षेत्र को एकीकृत कीट प्रबन्धन (आईपीएम) के तहत संसाधित किया गया। इसके अलावा, जल बचाने वाली युक्तियों सहित लगभग 21.27 लाख उन्नत कृषि मशीनरियां वितरित की गई। क्षमता निर्माण पहल के रूप में, 33,205 कृषक खेत विद्यालय (एफएफएस)-स्तर प्रशिक्षणों को अब तक आयोजित किया गया। इसके अलावा, लगभग 353 (3.53 लाख हेक्टेअर) खण्ड प्रदर्शनों का आयोजन ए3पी के तहत 2010 खरीफ के दौरान हुआ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

8.42 सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्यारहवीं योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2007-08 में आरकेवीवाई शुरू की गई ताकि योजना के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की जा सके। तीन वर्ष की अवधि 2007-10 के दौरान आरकेवीवाई के तहत 7895.12 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। राज्यों में आरकेवीवाई कार्यन्वयन के लिए 6722 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान में 3986.76 करोड़ रुपए की राशि 25 नवम्बर, 2010 को जारी की गई। 2010-11 में आरकेवीवाई के तहत शुरू की गई निम्नलिखित तीन नई पहलों के लिए विशिष्ट आबंटन करना होगा:

(i) अनुशंसित कृषि प्रौद्योगिकियों और प्रक्रिया पैकेजों के माध्यम से गहन खेती के द्वारा क्षेत्र की फसल उत्पादकता की वृद्धि के लिए, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल राज्यों सहित देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक हरित क्रांति का विस्तार करना।

(ii) चिन्हित वाटरशेडों में, जहां दलहन और तिलहन किसानों को किराए पर कृषि मशीनरी और उपस्कर प्रदान किए जाते हैं, 60,000 दलहन और तिलहन ग्रामों का आयोजन करशुष्क भूमि क्षेत्रों में दलहनों और तिलहनों के लिए विशेष पहल। ये पहल, तिलहन और दलहन उत्पादन संवर्धन के घटकों वाली भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित है।

(iii) राष्ट्रीय केसर मिशन कार्यान्वयन–2010-11 के दौरान जम्मू और कश्मीर केसर क्षेत्र का आर्थिक पुनरुत्थान।

8.43 आरकेवीवाई ने केन्द्रीय सहायता का 50 प्रतिशत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर राज्य आयोजना व्यय के प्रतिशत से जोड़ दिया है। इससे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए राज्यों को आबंटन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला जो कुल राज्य आयोजना व्यय का 2006-07 में 5.11 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 6.29 प्रतिशत हो गया। आरकेवीवाई देश में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के वित्तपोषण में प्रमुख माध्यम के रूप में उभरा है। इसकी अन्य योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एमजीएनआरईजीए) के साथ संयोजित होने से कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में वृद्धि की आशा है। राज्य प्राथमिक तौर पर जिला और राज्य कृषि योजनाओं से आरकेवीवाई के तहत परियोजनाएं लेंगे। आने वाले वर्षों में कृषि योजना और योजनाओं के कार्यान्वयन के बीच वर्धित सहक्रिया होगी जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के संवर्धन में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

तिलहन, दलहन ऑयल पाम और मक्का की एकीकृत योजना (आइसोपॉम)

8.44 आईसोपॉम का कार्यान्वयन तिलहन और दलहन के लिए 14 प्रमुख राज्यों, मक्के के लिए 15 राज्यों और ऑयल पाम के लिए 10 राज्यों में किया जा रहा है। दलहन संघटक 1 अप्रैल, 2010 से एनएफएसएम के साथ विलीन हो गया है। यह योजना फसल विविधता संवर्धन के क्षेत्रवार भिन्नता के आधार पर कार्यान्वयन में राज्यों को लोचशीलता प्रदान करती है। योजना के तहत सहायता, प्रजनक बीज खरीद, आधार बीज उत्पादन, प्रमाणित बीज उत्पादन और वितरण, बीज मिनिकिट्स वितरण, पौध संरक्षण रसायन, पौध संरक्षण उपस्कर, खरपतवारनाशी, जिप्सम/पाइराइट/चूना/डोलोमाइट, फव्वारासेट, और जलवाहक पाइपों, राइजोवियम कृषि/फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया और उन्नत कृषि उपस्करों की आपूर्ति, प्रचार आदि के लिए प्रदान की जाती है। आइसोपॉम के तहत ऑयल पॉम विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, केरल, त्रिपुरा, असम और मिजोरम राज्यों में किया जा रहा है। इसका मक्का विकास कार्यक्रम 15 राज्यों में कार्यन्वित किया जा रहा है। ये राज्य हैं: आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल।

सूखा प्रबन्धन

8.45 बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में दक्षिण-पश्चिम मानसून 2010 के दौरान कम वर्षा के कारण राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) का 2010-11 का केन्द्रीय हिस्सा अकाल प्रशमन के आवश्यक उपायों को तेजी से पूरा करने के लिए इन राज्यों को सक्षम बनाने के लिए जारी किया गया। कतिपय क्षेत्रों में अकाल/कम वर्षा को ध्यान में रखते हुए खेतों में खड़ी फसल बचाने के लिए अकाल/कम वर्षा क्षेत्रों में खरीफ 2010 (14 जुलाई 2010 से 30 सितम्बर 2010) के दौरान डीजल सब्सिडी लगाने का निर्णय लिया था।

सम्बद्ध क्षेत्र

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)

8.46 कृषि मंत्रालय अग्र और पश्च जुड़ाव सुनिश्चित करते हुए सभी पणधारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ, 2005-06 से बागवानी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए केंद्र प्रायोजित एनएचएम कार्यान्वित कर रहा है। सभी राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यद्वीप और पांडिचेरी नामक तीन केन्द्र प्रशासित राज्य इसमें शामिल हैं लेकिन सिक्किम और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित आठ पूर्वोत्तर राज्य इस मिशन में शामिल नहीं हैं। ये राज्य पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (एचएमएनईएच) बागवानी मिशन में शामिल हैं। योजना का कार्यान्वयन देश के 372 जिलों में किया जा रहा है। 2005-06 से 2009-10 के दौरान चिन्हित बागवानी फसलों का अतिरिक्त 16.57 लाख हेक्टेयर शामिल किया गया। गुणवत्ता पौध सामग्री उत्पादन के लिए 2192 पौधशालाओं की स्थापना के अलावा, 2.78 लाख हेक्टेअर जमीन को पुराने और जीर्णाजीर्ण फलोद्यान के कायाकल्प के तहत शामिल किया गया है। बागवानी फसलों की जैव कृषि 1.37 लाख हेक्टेअर क्षेत्र में अपनाया गया है।

8.47 एनएचएम और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन से बागवानी फसल उत्पादन 2004-05 में 170.8 मिलियन टन से बढ़कर 2008-09 में 214.7 मिलियन टन हो गया। फल और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2004-05 में 391 ग्राम/दिन से बढ़कर 2008-09 में 466 ग्राम/दिन हो गई।

पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में बागवानी एकीकृत विकास प्रौद्योगिकी मिशन

8.48 बागवानी एकीकृत विकास प्रौद्योगिकी मिशन पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पादन और उत्पादकता, पश्च कटाई संचालन, विपणन और बागवानी फसलों के प्रसंस्करण से संबंधित मुद्दे हल करने के लिए 2001-02 में शुरू किया गया था। इस मिशन में 2003-04 में तीन हिमालयी राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड शामिल किए गए। इसमें बागवानी विकास का पश्च और अग्र जुड़ाव के माध्यम से उत्पादन से उपभोग तक का सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम शामिल है। इसके कार्यान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि बागवानी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त संघटक शुरू करने की आवश्यकता है। तदनुसार, कुछ नए संघटक जैसे उच्च सघनता पौधारोपण, सब्जी बीज उत्पादन, और बागवानी मशीनीकरण को इस मिशन में शामिल कर दिया गया। निवेश को बढ़ावा देने और लाभार्थियो को आय सृजन में सहायता देने के लिए लागत मानदण्डों के संशोधन के साथ अब इसका नाम बदलकर पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) हो गया।

8.49 मिशन के कार्यान्वयन ने इन राज्यों में अतिरिक्त 5,12,614 हेक्टेयर को विभिन्न बागवानी फसलों (फल, सब्जी, मसाले, फसल पौधारोपण, औषधीय पौधे, सुगन्धित पौधे, जड़ें और ट्यूबर फसलें) के तहत लाने में मदद की। इसके अलावा, जीर्णाजीर्ण और अनुत्पादक फलोद्यानों की 26,571 हेक्टेयर को उत्पादकता बढ़ाने के लिए कायाकल्प किया गया। मिशन 54,938 हेक्टेयर भूमि जैव कृषि के तहत लाने में सफल हुआ है। मिशन के तहत शामिल मुख्य अवसंरचना में शामिल है, 974 पौध शालाएं, 10979 सामुदायिक टैंक और 12758 ट्यूबवैल है। ड्रिप सिंचाई का विस्तार 16,303 हेक्टेयर तक हो चुका है। पच्चीस मॉडल पुष्प कृषि केन्द्रों, उनसठ औषधीय बागानों, पच्चीस उत्तक संवर्धन इकाइयों और बाईस रुग्ण भविष्यवाणी इकाइयों की भी स्थापना की गई है। मिशन ने गुणवत्ता उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च कीमत फसलों जैसे, टमाटर, रंगीन शिमला मिर्च, स्ट्राबेरी, और फूलों की सुरक्षित कृषि पर विशेष जोर दिया। बागवानी में मशीनीकरण के संवर्धन और लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। अब तक 5,785 विद्युत चालित जोतक, 464,595 मानव चालित मशीनें, 12,542 विद्युतचालित उपकरण और 12887 डीजल इंजनों को क्षेत्र के किसानों में वितरित किया गया। महिला किसानों के सशक्तीकरण के लिए स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को बढ़ावा दिया गया है। अब तक 8527 स्व-सहायता समूहों का निर्माण किया गया जो पुष्प कृषि ओर निर्यात संवर्धन में शामिल हैं। बागवानी उत्पाद के उचित संचालन और विपणन के लिए 47 थोक बाजारों, 344 ग्रामीण/अपनी मंडी, 35 कोल्ड स्टोरेज, और 64 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की गई है। मिशन के तहत 53,276 महिलाओं सहित 2,65,435 व्यक्तियों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है।

लघु सिंचाई

8.50 जनवरी 2006 में शुरू की गई लघु सिंचाई योजना के अलावा, जून 2010 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन शुरू किया गया। बागवानी और कृषि दोनों तरह की फसलों के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों मे ड्रिप और फव्वारा सिंचाई प्रणालियों को अपनाकर जल उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान मिशन को कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना लघु और सीमांत किसानों की प्रणाली लागत का 60 प्रतिशत और सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत सहायता प्रदान करती है। 2005-06 से, 2739 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा जारी की गई है और 2.27 लाख हेक्टेयर को लघु सिंचाई योजना के तहत लाया गया। यह प्रणाली फसल उत्पादकता और जल उपयोग क्षमता बढ़ाकर उर्वरक उपयोग (ड्रिप प्रणाली के जरिए फर्टिगेशन) बिजली और श्रम उपयोग घटाकर और आय बढ़ाकर किसानों को लाभ पहुंचाती है।

राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)

8.51 बांस फसल की संभावना को देश में उपयोग करने के दृष्टिकोण से, कृषि मंत्रालय देश के 27 राज्यों में केन्द्र प्रायोजित एनबीएम को 568.23 करोड़ रुपए की कुल लागत से कार्यान्वित कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य क्षेत्र आधारित क्षेत्रवार भिन्न-भिन्न कार्य योजनाएं अपनाकर बांस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास और बांस कृषि और विपणन के तहत क्षेत्र में वृद्धि करना है। मिशन के तहत नई पौधशालाओं/उत्तक संवर्धन इकाइयों की स्थापना और पहले से स्थापित इकाइयों को सशक्त बनाकर गुणवत्ता पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। अग्र एकीकरण के लिए, मिशन द्वारा बांस उत्पाद विशेष तौर से हस्तशिल्प सामान के विपणन को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे है। चालू वर्ष के दौरान (2010-11) 7946 हेक्टेयर वन और 2079 हेक्टेयर गैर वन क्षेत्र को बांस पौधरोपण के तहत शामिल किया गया।

रबर

8.52 भारत 2009 में प्राकृतिक रबर के विश्व उत्पादन में 8.5 प्रतिशत हिस्से के साथ चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्राकृतिक रबर उत्पादन के लिए बेहतर भौगोलिक अनुकूलता वाला क्षेत्र न होने के बावजूद, भारत ने मुख्य प्राकृतिक रबर उत्पादन देशों में उच्चतम उत्पादकता के रिकॉर्ड को बनाए

रखा। 2010-11 में प्राकृतिक रबर उत्पादन 851,000 टन अनुमानित था जो 2009-10 की तुलना में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि है। भारत, 2009 में विश्व उपभोग में 9.6 प्रतिशत हिस्से वाले अमरीका को पीछे छोड़ते हुए प्राकृतिक रबर का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बनकर उभरा है। 2010-11 में प्राकृतिक रबर उत्पादन 948,000 टन अनुमानित है जो विगत वर्ष की तुलना में 1.9 प्रतिशत अधिक है। विगत कई महीनों में व्याप्त अपेक्षाकृत उच्च घरेलू मूल्यों को देखते हुए, 2010-11 में प्राकृतिक रबर का निर्यात कम होने और आयात बढ़ने की संभावना है।

कॉफी

8.53 भारत कॉफी उत्पादन में ब्राजील, वियतनाम, कोलम्बिया, इंडोनेशिया और इथोपिया के बाद छठें स्थान पर है। यह अरेबिया और रोबस्टा किस्म की कॉफी 33:67 के अनुपात में पैदा करता है। कॉफी लगभग 3.99 लाख हेक्टेयर में उगाई जाती है जो मुख्यत: दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक सीमित है जो कॉफी के पारम्परिक क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में भी उगाई जाती है जहां मुख्यत: आदिवासी विकास और वनारोपण पर जोर दिया जाता है। चूंकि भारत की कॉफी के उत्पादन का 65 से 70 प्रतिशत निर्यात किया जाता रहा है, अत: कॉफी भारत में निर्यातोन्मुखी जिंसों में शुमार है और जिससे अच्छी खासी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पिछले पांच से छह वर्षों में भारत की उत्पादकता लगभग 800 कि.ग्रा./हेक्टेयर रही है। कॉफी का उत्पादन 2009-10 में 2,89,600 मिट्रिक टन था। 2010-11 में मानसून पश्च फसल अनुमान 2,99,000 मि. टन है।

चाय

8.54 भारत काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता है। चाय भारत के 16 राज्यों में उगाई हाती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल कुल चाय उत्पादन का लगभग 96 प्रतिशत भाग उत्पन्न करते है। दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी से उत्पन्न चाय विश्व भर में अपने विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2009-10 के दौरान भारत में चाय उत्पादन 2008-09 में प्राप्त 972.77 मिलियन कि.ग्रा. की तुलना में 991.18 मिलियन कि.ग्रा. अनुमानित है।

पशु पालन, डेयरी और मात्स्यिकी

8.55 पशुधन और मत्स्य क्षेत्र का 2008-09 के दौरान कुल सघउ का 4.07 प्रतिशत से अधिक और कुल कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों से उत्पादन कीमत का लगभग 29.7 प्रतिशत का योगदान है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना क्षेत्र से 6-7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की समग्र वृद्धि की परिकल्पना करती है। 2009-10 में इस क्षेत्र ने 112.5 मिलियन टन दूध, 59.8 बिलियन अंडे, 43.2 मिलियन कि.ग्रा. ऊन, और 4.0 मिलियन टन मीट उत्पादित किया। 18वें पशुधन गणना (2007) जो ग्रामीण स्तर की गणना से ली गयी, के अनुसार, कुल पशुधन संख्या 529.7 मिलियन और पॉल्ट्री पक्षी 648.8 मिलियन है।

सारणी 8.12 : दुग्ध उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/दिन)	दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन)
1990-91	176	53.9
2000-01	220	80.6
2005-06	241	97.1
2006-07	246	100.9
2007-08	252	104.8
2008-09	258	108.5
2009-10	263	112.5

स्रोत: पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग

8.56 भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। 1950-51 में 17 मिलियन टन उत्पादन से बढ़कर 2009-20 में लगभग 112.5 मिलियन टन (सारणी 8.12) हो गया। दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1968-69 में प्रतिदिन 112 ग्राम से बढ़कर 2009-10 में प्रतिदिन 263 ग्राम हो गया। तथापि, फाओस्टेट (खाद्य एवं कृषि सांख्यिकी डाटाबेस संगठन) 2009 के आंकड़े के अनुसार यह 279.4 ग्राम/दिन के विश्व औसत की तुलना में अभी भी कम है। फाओस्टेट बॉक्स 8.2 में भारत में दुग्ध स्थिति का कुल विवरण दिया गया है।

8.57 राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) नामक आनुवंशिक सुधार का एक मुख्य कार्यक्रम अक्तूबर 2000 में शुरू हुआ जो पांच वर्षों के दो अलग-अलग चरणों में दस वर्षों की अवधि की तुलना में कार्यान्वित किया जाएगा। एनपीसीबीबी वरीयता आधार पर देशी प्रजनन के आनुवंशिक उन्नयन और विकास पर विचार करता है। वर्तमान में, 28 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र परियोजना में भाग ले रहे है।

पशुधन बीमा

8.58 केन्द्र प्रायोजित पशुधन बीमा योजना सभी राज्यों में दो उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित की जा रही है: किसानों और पशुपालकों के जानवरों की मृत्यु के किसी सम्भावित घाटे के एवज में संरक्षण कार्य प्रणाली प्रदान करना; और विभिन्न पशुधन के लाभों के सुनिश्चयन को लोगों को प्रदर्शित करना। 2005-06 के दौरान पायलट आधार पर 100 चुनिंदा जिलों में शुरू की गयी यह योजना सभी राज्यों को शामिल करते हुए

बॉक्स 8.2 : भारत में दुग्ध स्थिति

भारत में वार्षिक दुग्ध उत्पादन आजादी के बाद छह गुना से अधिक बढ़ गया है। हाल ही के वर्षों में दुग्ध उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि दर 4 प्रतिशत के आसपास रहा है। यद्यपि 2009-10 में भारत की 263 ग्राम/दिन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का स्तर विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र की 6.7 प्रतिशत की समग्र वृद्धि की परिकल्पना की गयी है। योजना आयोग के आकलन के अनुसार 2021-22 तक दुग्ध की घरेलू मांग 172.20 मिलियन टन होने की संभावना है। प्रस्तावित राष्ट्रीय डेयरी योजना के अनुमान के अनुसार मांग की पूर्ति के लिए देश में दुग्ध उत्पादन 2021-22 तक बढ़ाकर 180 मिलियन टन करने की आवश्यकता है। तथापि, देश दूध के घरेलू मांग की पूर्ति करने में सक्षम नहीं रहा है। दूध की घरेलू मांग प्रतिवर्ष लगभग छह मिलियन टन बढ़ रही है जबकि विगत दस वर्षों में वार्षिक वृद्धि उत्पादन लगभग 3.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि और जनता में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ने के साथ यह स्वाभाविक है कि दुग्ध और दुग्ध उत्पादों पर व्यय आय के अनुपात के बढ़ने के साथ बढ़ा है और दुग्ध उत्पादों की मांग बढ़ी। इसके अलावा शहरी केन्द्रों में अधिक से अधिक प्रसंस्कृत और पैक किए हुए डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ेगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग स्थानीय दूधियों से खरीदना अधिक पसंद करेंगे। देश में उत्पादित दूध का लगभग 80 प्रतिशत भाग असंगठित क्षेत्र में और शेष 20 प्रतिशत सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा संचालित किया जाता है। विगत छह दशकों में दुग्ध उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद हमारे पशुओं की उत्पादकता अभी भी कम है। हमारी विपणन प्रणालियां भी संतोषजनक रूप से आधुनिक अथवा विकसित नहीं है। इस क्षेत्र के अन्य मुद्दे है: निष्प्रभावी प्रजनन कार्यक्रम, गुणवत्ता वाले भोजन और चारे की सीमित उपलब्धता और वहनीयता, पशु संबंधी अनुचित अवसंरचना अभाव, टीकों की कमी, औपचारिक क्रेडिट कार्य प्रणालियों तक अपर्याप्त पहुंच, अपर्याप्त अनुसंधान क्षमता, सीमित प्रसंस्करण क्षमता और परिवहन की कमी। इस पर विचार करते हुए कि 2021-22 में दूध की आवश्यकता 180 मिलियन टन है और दुग्ध उत्पादन का वर्तमान स्तर 112 मिलियन टन है, अगले 12 वर्षों में दुग्ध उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 5.5 प्रतिशत बढ़ाना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो भारत को विश्व बाजार से इसका आयात करना पड़ सकता है। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में भारत जैसे बड़े ग्राहक के प्रवेश करते ही अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में तेजी आने की संभावना है। इस प्रकार यह विवेकसम्मत होगा कि हम घरेलू बाजार पर निर्भर रहें और दुग्ध क्षेत्र को सही दिशा में ले जाकर तथा आवश्यक निवेश के साथ इसका विकास करें। दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के मूल्यों में हाल ही की वृद्धि चिंता का विषय है। दूध की घरेलू मांग और दूध के उत्पादन में अन्तर से देश में दूध मूल्यों में वृद्धि का दबाव बना। उत्पादन और उत्पादकता पर फोकस के साथ मजबूत आपूर्ति के साथ मूल्यों को स्थिर रखा जा सकता है।

300 चुनिंदा जिलों तक विस्तारित कर दी गयी है। यह योजना दुधारू पशुओं और भैंसपालकों तथा पशुपालकों को लाभ पहुंचाती है। 2010-11 में 20.12 करोड़ रुपए दिसम्बर 2010 तक जारी किए गए और 2006-07 से 2009-10 तक 20.63 लाख पशुओं का बीमा किया गया।

कुक्कुट पालन

8.59 देश में कुक्कुट विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जो स्वयं अपने को बदलती जैव सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ तेजी से समायोजित कर रहा है। भारत में प्रतिवर्ष 51 अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के साथ प्रतिवर्ष 59.8 बिलियन से ज्यादा अंडों का उत्पादन होता है। वर्ष 2008-09 में मुर्गी मांस उत्पादन 1.85 मिलियन टन अनुमानित है। किसानों की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक ही स्थान पर सब सुविधाएं मुहैया कराने के सिद्धांत पर चार क्षेत्रीय केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठनों को नए सिरे से संरचित किया गया है। ये संगठन चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुम्बई तथा हेस्सरघट्टा में स्थित हैं। ये किसानों को उनकी तकनीकी दक्षता के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। गुड़गांव स्थित केन्द्रीय कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र को लेयर तथा ब्रॉयलर किस्मों के निष्पादन के परीक्षण का दायित्व सौंपा गया है। यह केन्द्र देश में उपलब्ध विभिन्न आनुवंशिक स्टॉक से सम्बद्ध महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। केन्द्रीय प्रायोजित कुक्कुट विकास योजना के तीन संघटक हैं–राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता, ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास तथा कुक्कुट सम्पदा। राज्य कुक्कुट फार्मों को दी जाने वाली सहायता का उद्देश्य मौजूदा राज्य कुक्कुट फार्मों को मजबूती प्रदान करना है ताकि ग्रामीण बैकयार्ड रिअरिंग हेतु उपयुक्त संशोधित स्टॉक की व्यवस्था की जा सके। ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास संघटक का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पूरक आय तथा पौषणिक सहायता उपलब्ध कराना है। कुक्कुट सम्पदा मुख्यत: शिक्षित, बेरोजगार युवाओं तथा छोटे किसानों को कुछ मार्जिन राशि उपलब्ध कराने का उद्देश्य ली हुई है जिससे वे विभिन्न कुक्कुट सम्बद्ध गतिविधियों से लाभदायक उद्यम लगा सकें। केन्द्र क्षेत्र की कुक्कुट उपक्रम पूंजी निधि योजना विभिन्न कुक्कुट गतिविधि

यों के साथ व्यक्तियों में उद्यमशील दक्षता को प्रोत्साहन प्रदान करती है।

पशुधन स्वास्थ्य

8.60 भारत में पशुधन कई गुना बढ़ गया है जिस वजह से पशुपालन क्षेत्र को आधुनिक कार्यकलापों को अपनाना पड़ रहा है। व्यापार गतिविधि में बढ़ोतरी तथा बड़ी मात्रा में क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रमों से देश में विदेशी बीमारियों के आगमन के अवसर भी बढ़े हैं। रोगमुक्त स्थिति को बनाए रखने का सुनिश्चय करने हेतु तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पशु स्वास्थ्य योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं। जो पशुधन तथा मुर्गियों की प्रमुख बीमारियों को नियंत्रित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देती है और जिनमें पशु रोगों को सूचित करने सहित पशु चिकित्सा सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जाता है। एविन इन्फ्लूएंजा की जो सारी घटनाएं प्रकाश में आयी थीं, उन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर लिया गया है और जून, 2010 भारत एविन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हो गया है।

मात्स्यिकी

8.61 मछली उत्पादन 2007-08 के 7.14 मिलियन टन से बढ़कर 2009-10 में 7.85 मिलियन टन हो गया। मात्स्यिकी, झींगा पालन और सम्बद्ध कार्यों ने प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक के अलावा 2008-09 में 14 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया है (सारणी 8.13)।

भोजन और चारा

8.62 पशुधन के लिए भोजन तथा चारे की पर्याप्त उपलब्धता दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा चालू आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह अनुमान है कि देश में 34 प्रतिशत हरे चारे का अभाव है। पशुपालन तथा डेयरी विभाग 1 अप्रैल, 2010 से संशोधित केन्द्रीय प्रायोजित चारा तथा भोजन विकास योजना कार्यान्वित कर रहा है ताकि राज्यों को चारा उत्पादन में सुधार के प्रयासों में मदद मिले। 2010-11 के दौरान 2903.04 लाख रूपए (दिस. 2010 तक) की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी थी। केन्द्रीय मिनिकिट जांच कार्यक्रम के तहत हाल में अधिक उच्च उपज चारा किस्मों के चारा बीज मिनिकिट किसानों को नि:शुल्क वितरित किया जा रहा है। चालू वर्ष (2010-11) के दौरान राज्यों को 11.79 लाख चारा बीमा मिनिकिट किसानों को वितरण के लिए आवंटित किए गए।

ऋण तथा बीमा

कृषि ऋण

8.63 खरीफ 2006-07 से 2008-09 तक किसानों को 3 लाख टन की मूलधन राशि तक का फसल ऋण 7 प्रतिशत की ब्याज की दर से प्राप्त हो रहा था। वर्ष 2009-10 में सरकार ने ऐसे किसानों को अतिरिक्त 1 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान की, जिन्होंने अपने अल्पावधिक फसल ऋण की वापसी अदायगी अनुसूची के अनुसार की। वर्ष 2010-11 से सरकार ने इस सहायता को फसल ऋणों की समय पर वापसी अदायगी के लिए 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया है। इस प्रकार ऐसे किसानों की प्रभावी ब्याज दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

सहकारी ऋण संरचना का पुन:सुधार करना

8.64 जनवरी 2006 में सरकार ने अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के पुनरुज्जीवन के लिए एक पैकेज की घोषणा की जिसमें 13, 596 करोड़ की वित्तीय सहायता शामिल है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को इस प्रयोजन हेतु कार्यान्वयनकारी एजेन्सी नामोद्दिष्ट किया गया है। राज्यों को भारत सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने है जिसमें पुनरुज्जीवन पैकेज में यथा परिकल्पित विधिक, संस्थागत और अन्य सुधारों के कार्यान्वयन की वचनबद्धता है। अब तक पच्चीस राज्यों ने ऐसे समझौता ज्ञापनों का निष्पादन किया है। इसके अंतर्गत देश के 96 प्रतिशत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) और 96 प्रतिशत केन्द्रीय सहकारी

सारणी : 8.13 : मछली का उत्पादन व निर्यात

वर्ष	मछली उत्पादन (मिलियन टन)			समुद्री उत्पादों का निर्यात	
	समुद्री	अन्तर्देशीय	जोड़	मात्रा ('000 टन)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1990-91	2.3	1.5	3.8	140	893
2000-01	2.8	2.8	5.6	503	6288
2005-06	2.8	3.8	6.6	551	7019
2006-07	3.0	3.8	6.8	612	8363
2007-08	2.9	4.2	7.1	541	7620
2008-09	3.0	4.6	7.6	602	8608
2009-10	2.98	4.87	7.85	664	9921

बैंकों को शामिल किया गया है। नवम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड द्वारा 8009.75 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है क्योंकि भारत सरकार 49,983 पीएसीएस के पुन: पूंजीकरण हेतु मदद करती है।

विपदाग्रस्त किसानों के लिए पुनर्वास पैकेज

8.65 सरकार आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र राज्यों के 31 आत्महत्या संभावित जिलों के लिए पुनर्वास पैकेज का कार्यान्वयन कर रही है, जिसमें 16,978.69 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय होगा। कुट्टनड दलदली भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और शुष्क जिले में कृषि संबंधी विपदा में कमी लाने के लिए क्रमश: 1840.75 करोड़ रुपए और 764.45 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ विशेष पैकेजों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

किसान-क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

8.66 केसीसी योजना अगस्त 1998 में आरम्भ की गई है। सितम्बर, 2010 तक लगभग 970.64 लाख केसीसी जारी किए गए हैं। इस योजना में उधार प्राप्तकर्ताओं को स्वीकृत समग्र ऋण सीमा के भीतर खपत ऋण और निवेश ऋण के उचित संघटक शामिल है जिससे कि किसानों को पर्याप्त और समय पर उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान की जा सके।

निजी ऋणदाताओं पर कार्यबल

8.67 नाबार्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है। इस कार्यबल का कार्य बड़ी संख्या में ऐसे उन किसानों के मामले की जांच करना है जिन्होंने देश में निजी ऋणदाताओं से ऋण लिया था। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट जून 2010 में प्रस्तुत की है। इसे जिंस धारकों को उनकी टिप्पणियों/विचार प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया है।

कृषि बीमा

8.68 चार कृषि बीमा योजनाएं नामत: राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), प्रायोगिक संशोधित एनएआईएस (एमएनएआईएस), प्रायोगिक जोखिम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस), और प्रायोगिक नारियल ताड़ बीमा योजना (सीपीआईएस) का देश में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(i) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस)

देश में एनएआईएस का कार्यान्वयन 1999-2000 के रबी मौसम से किया जा रहा है। भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि॰ (एआईसी) इस योजना की कार्यान्वयनकारी एजेन्सी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानियों से किसानों को संरक्षण प्रदान करना है। यह योजना सभी ऋणप्राप्तकर्ता और गैर-ऋणप्राप्तकर्ता किसानों के लिए उनकी धारिता के आकार पर ध्यान दिए बिना उपलब्ध है। यह योजना क्षेत्र के आकार के आधार पर कार्य कर रही है। इसमें सभी खाद्य फसलें, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों जिनके संबंध में पर्याप्त संख्या के वर्षों के लिए विगत उपज आंकड़े उपलब्ध हैं, को कवर करना अभिकल्पित किया गया है। खाद्य और तिलहन फसलों की प्रीमियम दरों का रेंज 1.5 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत के बीच है। वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के मामले में बीमांकित प्रीमियम लिए जा रहे हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए 10 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध है। योजना के तहत सभी वित्तीय देयताओं का वहन केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर किया जाता है। वर्तमान में इस योजना को 25 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ii) प्रायोगिक संशोधित एनएआईएस (एमएनएआईएस)

मौजूदा योजना की सीमाओं/दोषों को देखते हुए सरकार ने 2010-11 के रबी मौसम से 50 जिलों में संशोधित एनएआईएस को प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया है। एमएनएआईएस में किए गए मुख्य सुधार निम्नलिखित हैं: प्रीमियम में विभिन्न दरों पर सब्सिडी के रनव नीमांकिक प्रीमियम अर्थात किसानों को प्रदत्त स्लैब के आधार पर 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत बीमाकर्ता को सभी दावों की देयता, प्रमुख फसलों के लिए बीमा के यूनिट क्षेत्र को कम कर ग्राम पंचायत स्तर पर कर दिया गया, रुकावट/बुआई/रोपण जोखिम और तूफान के कारण फसल कटाई पश्च हानियों के लिए क्षतिपूर्ति, तत्काल राहत के रूप में संभावित दावों के 25 प्रतिशत अग्रिम तक का भुगतान प्रारंभिक आय के हिसाब के लिए अधिक सही आधार 60 प्रतिशत के बजाय 70 प्रतिशत का न्यूनतम क्षतिपूर्ति स्तर और अनुमत पर्याप्त अवसंरचना के निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता (वर्तमान में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इफको टोकियो और चोलामंडलम एमएस)। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा केवल वैध प्रीमियम सब्सिडी का बंटवारा 50:50 आधार पर किया जाता है और दावे बीमा कम्पनियों की देयता होते हैं। रबी 2010-11 के दौरान सात राज्यों को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पहले ही क्षेत्र अधिसूचित कर दिए हैं। ऐसी प्रत्याशा है कि 14-15 राज्यों द्वारा यह योजना अधिसूचित कर दी जाएगी।

(iii) मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस)

केन्द्रीय बजट 2007 में यथा घोषित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) आरम्भ कर पायलट आधार पर चुनिंदा क्षेत्रों में फसल बीमा के तहत अधिक किसानों को कवर करने के प्रयास किए गए हैं। डब्ल्यूबीसीआईएस का उद्देश्य प्रतिकूल मौसम संबंधी घटनाओं, जिसमें फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, से किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। डब्ल्यूबीसीआईएस प्रीमियम के बीमांकिक दरों पर

आधारित है। परन्तु योजना के आकर्षक बनाने के लिए किसानों से वास्तविक रूप में लिए जाने वाले प्रीमियम को एनएआईएस के सममूल्य पर सीमित कर दिया गया है। भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि. (एआईसी) के अतिरिक्त निजी बीमाकर्ताओं को भी चुनिंदा क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वय हेतु शामिल किया गया है। खरीफ 2007 से 2010 तक के दौरान लगभग 81 लाख किसानों को पायलट योजना के तहत शामिल किया गया है।

(iv) नारियल ताड़ बीमा योजना (सीपीआईएस)

सीपीआईएस को वर्ष 2009-10 के दौरान प्रायोगिक आधार पर आन्ध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनिंदा क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना को नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) द्वारा एआईसी के जरिए नियंत्रित किया जाता है। दि. 30 जुलाई 2010 की स्थिति के अनुसार, लगभग 27,023 किसानों के 14.33 लाख ताड़ों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है।

कृषि विपणन

8.69 देश में कृषि जिंसों के संगठित विपणन को नियमित बाजारों के नेटवर्क के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। ज्यादातर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने कृषि उत्पाद बाजारों के नियमन के लिए विधान (कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम) बनाए हैं (सारणी 8.14)। दि. 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार, देश 7157 नियमित बाजार है। देश में 21,221 ग्रामीण आवधिक बाजार है, जिसमें से 15 प्रतिशत विनियमन के तहत चलते हैं। नियमित बाजारों के आगमन से थोक स्तर पर उत्पादकों/विक्रेताओं की बाजार की दिक्कतों को दूर करने में मदद मिली है। देश में महत्वपूर्ण कृषि बाजारों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है जिससे कि कीमतों और बाजार संबंधी सूचनाओं के तीव्र संग्रहण हेतु एक राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क स्थापित किया जा सके। वर्तमान में 1900 से भी अधिक बाजारों से कृषि विपणन सूचना नेटवर्क (एपी मार्कनेट) पर 300 वस्तुओं और लगभग 2000 किस्मों की थोक कीमतें दी जा रही हैं। लेकिन सामान्यत: ग्रामीण आवधिक बाजार और विशेषकर आदिवासी बाजार एपीएमसी अधिनियम की परिधि के बाहर रहे हैं।

8.70 अन्य प्रमुख प्रयासों में, ऐसे राज्यों के महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों के फलों, सब्जियों और अन्य नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए टर्मिनल बाजार परिसरों की स्थापना करना शामिल है, जो प्रारूप अधिनियम के अनुसार बाजार सुधारों की व्यवस्था करते हैं। ये बाजार इलेक्ट्रॉनिक नीलामी, कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला और

सारणी 8.14 : कृषि बाजारों (एपीएमसी अधिनियम) में सुधारों की प्रगति (31 अक्तूबर 2010 की स्थिति के अनुसार)

क्र॰ सं॰	सुधारों का चरण	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम
1.	ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम में सुझाव के अनुसार सुधार किए गए हैं।	आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा
2.	ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम संकल्प में संशोधन कर एपीएमसी अधिनियम को आंशिक तौर पर संशोधित किया गया है।	(क) प्रत्यक्ष विपणन: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (ख) संविदा खेती : हरियाणा, पंजाब तथा चंडीगढ़ (ग) निजी बाजार: पंजाब और चंडीगढ़
3.	ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां कोई एपीएमसी अधिनियम नहीं है और इसलिए सुधार अपेक्षित नहीं है।	केरल, मणिपुर, बिहार, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दादरा तथा नागर हवेली, दमन और द्वीव तथा लक्षद्वीप।
4.	ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम में पहले ही सुधार की व्यवस्था है	तमिलनाडु
5.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां सुधार हेतु प्रशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है।	मिजोरम, मेघालय, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, प॰ बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरि।

टिप्पणी : *एपीएमसी अधिनियम को 1.9.2006 से निरस्त कर दिया गया है।

संचार तंत्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेंगे और उत्पादक क्षेत्रों में सुविधाजनक रूप से स्थित प्राथमिक संग्रहण केन्द्रों के जरिए कार्य करेंगे जिससे किसानों की पहुंच आसान हो सके।

विस्तार सेवाएं

8.71 वर्ष 2005-06 में विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम सहायता नामक एक योजना आरंभ की गई जिसका उद्देश्य किसान संचालित और किसान जवाबदेह विस्तार प्रणाली का विकास करना है। जिला-स्तर पर विस्तार सुधारों के कार्य के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेन्सी (अत्मा) के रूप में प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु नई संस्थागत व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसमें किसानों/किसान समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, पंचायती राज संस्थाओं और जिला स्तर और इसके नीचे के स्तर पर कार्य कर रहे अन्य स्टॉक होल्डरों की सक्रिय भागीदारी है। अक्तूबर 2010 तक 591 जिला स्तर की अत्मा स्थापित की जा चुकी है। कार्यक्रम और कार्यकलापों से संबंधित संसाधनों का 30 प्रतिशत महिला किसानों और विस्तार अधिकारियों के लिए आवश्यक बनाकर लैंगिक विषमता दिया जा रहा है।

8.72 कृषि को मास-मीडिया सहायता योजना में किसान समुदाय को कृषि संबंधी जानकारी और ज्ञान प्रदान करने के लिए दूरदर्शन की अवसंरचना के उपयोग पर फोकस किया जाता है। रबी/खरीफ अभियान जैसे मुद्दों/योजनाओं पर ऑडियो/विडियो स्पॉट, किसान कॉल सेंटर योजना और केसीसी का प्रचार मुफ्त वाणिज्यिक समय का उपयोग करके किया जाता है। दूरदर्शन पर 'फसल सेमिनारों' जिनमें किसान और विशेषज्ञ उपस्थित थे, का सीधा प्रसारण किया गया। मास मीडिया पहल में सप्ताह के छः दिन 30 मिनट के क्षेत्र विशेष कृषि कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अखिल भारतीय रेडियो एफएम ट्रांसमीटरों का उपयोग शामिल है। विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध सहायता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 के दौरान एक 'केन्द्रित प्रचार अभियान' आरंभ किया गया है। इस अभियान के तहत अखबारों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रचार किया गया।

8.73 वर्ष 2004 में किसान कॉल सेंटर योजना आरंभ की गई, जिसका उद्देश्य किसान समुदाय को टोल फ्री टेलीफोन लाइनों के जरिए कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करना है। किसान कॉल सेन्टरों के लिए एक देशव्यापी सामान्य 11 अंकीय संख्या 1800-180-1551 आवंटित की गई है। किसान समुदाय के प्रश्नों के उत्तर 22 स्थानीय भाषाओं में प्रदान किए जा रहे हैं। सप्ताह के सभी सात दिनों में प्रातः 6.00 बजे से सायं 10.00 बजे तक कॉल स्वीकार की जाती हैं।

8.74 कृषि-क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना 2002 में शुरू हुई जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्वरोजगार जोखिम की स्थापना करके भुगतान आधार पर कृषि स्नातकों के माध्यम से किसानों को सेवा देती है। नाबार्ड वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि क्लीनिकों को क्रेडिट सहायता पर नियंत्रण रखता है। बैंक ऋण पर पहले दो वर्षों के लिए बैंक ऋण और पूर्ण ब्याज सब्सिडी के माध्यम से निधिपोषित परियोजना की पूंजी लागत का 33 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के प्रावधान का अनुमोदन इस योजना के तहत हाल ही में हो गया है। इस योजना के आरंभ से सितम्बर 2010 तक 22,158 बेरोजगार कृषि स्नातकों को प्रशिक्षण दिया गया।

8.75 किसान समुदाय को नवीनतम प्रौद्योगिकीय प्रगति को दर्शाने और सूचना के प्रसार हेतु कृषि मेलों/प्रदर्शनियों के जरिए सूचना का प्रसार एक उत्कृष्ट तंत्र है और साथ ही यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में व्यापार के अवसरों को भी बढ़ावा दे रहा है। कृषि मेलों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और प्रखंड स्तरों पर बढ़ावा दिया जाता है और आयोजित किया जाता है।

खाद्य प्रबंधन

8.76 खाद्य प्रबन्धन के मुख्य उद्देश्य लाभकारी मूल्यों में किसानों से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, उपभोक्ताओं खासकर समाज के कमजोर वर्गों को वहनीय कीमतों पर खाद्यान्न का वितरण और खाद्य सुरक्षा और मूल्य विस्तार के लिए खाद्य बफर का अनुरक्षण है। उपयोग में लाए गए लिखत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) हैं। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भण्डारण करने वाली नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) है। एमएसपी पर अधिप्राप्ति खुली है जबकि वितरण आवंटन के स्केल और लाभभोगियों के उपभोग से नियंत्रित है। खाद्यान्नों की कुल खरीद प्राथमिक तौर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत और भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए है।

खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और कुल खरीद

8.77 रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2010-11 के दौरान आरएमएस 2009-10 के 25.38 मिलियन टन के मुकाबले 22.52 मिलियन टन गेहूं की अधिप्राप्ति की गई। खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2009-10 के दौरान केएमएस 2008-09 के 33.69 मिलियन टन के मुकाबले 31.46 मिलियन टन की अधिप्राप्ति की गई। वर्ष 2009-10 में मोटे अनाज की अधिप्राप्ति 2008-09 के 13.75 हजार टन के मुकाबले 4.07 हजार टन रही। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। वास्तव में, पंजाब और हरियाणा अधिकतम अधिप्राप्ति करते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न

अन्य कदमों के सवर्धित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति का स्तर उच्च रहा। इससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) संबंधी आवश्यकताओं और बफर स्टॉक के मानकों को पूरा करने के लिए खाद्य स्टॉकों के पर्याप्त स्तर का मार्ग प्रशस्त हुआ है। टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल की कुल खरीद में विगत कई वर्षों में बढ़ोत्तरी हुई है (सारणी 8.15)।

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना (डीपीएस)

8.78 1997 में लागू विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना कई राज्यों में अपनायी गयी जिसके तहत राज्य सरकारों द्वारा ही खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति और वितरण किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, नामोद्दिष्ट राज्य भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, भण्डारण तथा निर्गमन करते है। राज्य के सम्बन्ध में निर्धारित आर्थिक लागत तथा के संबंध में पारित सीआईपी के बीच का अन्तर राज्य सरकारों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। इस विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का उद्देश्य है: एमएसपी कार्यों के अंतर्गत अधिक किसानों को शामिल करना, सार्वजनिक वित्त प्रणाली की कार्य क्षमता सुधारना, स्थानीय अभिरूचि के अधिक माफिक किस्मों का खाद्यान्न उपलब्ध कराना और ढुलाई लागत कम करना। 22 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2010-11 में डीसीपी कार्यकलापों के तहत राज्यों को कुल 9376 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी जारी की गयी। चावल के मामले में, डीसीपी कार्यों के अंतर्गत राज्यों ने काफी वृद्धि दर्शाई (केएमएस 2006-07 में 94.9 लाख टन से 2009-10 में 119.5 लाख टन) है। केएमएस 2008-09 और 2009-10 में, डीसीपी राज्यों की चावल की अधिप्राप्ति क्रमश: 135.4 और 119.5 लाख टन थी । डीसीपी राज्यों में गेहूं की अधिप्राप्ति विशेष तौर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 2006-07 और 2007-08 में रबी विपणन मौसम (आरएमएस) में तुलनात्मक रूप से कम रही। इसका मुख्य कारण निजी कम्पनियों द्वारा उच्च बाजार मूल्यों की आशा में अत्यधिक खरीद, पंजाब और हरियाणा की तुलना में कर और लेवी की कम दर तथा देश के दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में बाजार की निकटताएं थी। तथापि, आरएमएस 2008-09 और 2009-10 में गेहूं की रिकॉर्ड अधिप्राप्ति हुई। 22 दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार 2010-11 में डीसीपी कार्यों के तहत विभिन्न राज्यों को कुल 9376 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी जारी की गई है। अधिप्राप्त की विकेन्द्रीकृत प्रणाली के तहत गेहूं की अधिप्राप्ति 2006-07 के 0.5 लाख टन से बढ़कर 2009-10 में 60.7 लाख टन हो गई। 2010-11 में डीसीपी राज्यों की गेहूं अधिप्राप्ति मुख्यतया से उत्तर प्रदेश के डीसीपी योजना से बाहर हो जाने के कारण कम हो गई।

सारणी 8.15 : गेहूं और चावल की अधिप्राप्ति और खरीद (मिलियन टन)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10		
केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल की अधिप्राप्ति							
चावल	27.66	25.11	28.74	33.69	31.46		
गेहूं	14.8	9.2	11.1	22.7	25.4		
जोड़	42.5	34.3	39.8	56.38	56.9		
***टीपीडीएस हेतु गेहूं और चावल का उठाव**							
	2005-06	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2009-10**	**2010-11 अप्रैल-सितम्बर**
चावल	19.1	21.1	22.5	22.1	23.4	12.1	12.4
गेहूं	12.0	10.3	10.8	12.5	19.0	9.5	9.5
जोड़	31.1	31.4	33.3	34.6	42.4	21.6	21.9
बीपीएल (चावल + गेहूं)	15.7	14.2	15.1	15.6	16.5	8.3	8.7
एपीएल (चावल + गेहूं)	8.0	8.5	8.7	9.5	16.1	8.4	8.2
एएवाई (चावल + गेहूं)	7.4	8.7	9.5	9.5	9.8	4.9	5.0
अन्य योजनाओं हेतु गेहूं और चावल का उठाव							
कल्याण योजनाएं	10.1	5.4	4.1	3.7	5.2	1.8	3.0
खुली निविदा बिक्री/निर्यात	1.1	0.0	0.0	1.2	2.1	0.0	0.3
जोड़	**42.3**	**36.8**	**37.4**	**39.5**	**49.7**	**23.4**	**25.2**

टिप्पणी: *संशोधित
बीपीएल: गरीबी रेखा से नीचे
एपीएल: गरीबी रेखा से ऊपर
एएवाई: अन्त्योदय अन्न योजना

बफर स्टॉक

8.79 1 अक्तूबर, 2010 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्टॉक स्थिति 46.2 मिलियन टन है जिसके अंतर्गत 18.4 मिलियन टन चावल और 27.8 मिलियन टन गेहूं है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान टीपीडीएस और कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह पर्याप्त है। (सारणी 8.16)

भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत

8.80 खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में तीन संघटक शामिल हैं, जैसे किसानों को भुगतान किया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) (और बोनस, यदि लागू हो), चूंकि किसानों को कीमत अदा की गयी, आनुषंगिक अधिप्राप्ति और वितरण लागत। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और आनुषंगिक व्यय में आनुपातिक वृद्धि के कारण विगत कुछ वर्षों में चावल और गेहूं दोनों की आर्थिक लागत में काफी बढ़ोत्तरी देखी गई है। (सारणी 8.17 और चित्र 8.16)

खाद्य सब्सिडी

8.81 सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों के जरिए गरीबों को न्यूनतम पोषाहार सहायता का प्रावधान और विभिन्न राज्यों में कीमत स्थिरता सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के दो उद्देश्य हैं। समुचित वितरण का अपना दायित्व पूरा करते हेतु सरकार खाद्य

सारणी 8.16 : बफर स्टॉक मानदण्ड तथा वास्तविक स्टॉक

(लाख टन)

अवधि	गेहूं		चावल		योग	
	न्यूनतम बफर मानदण्ड	वास्तविक स्टॉक	न्यूनतम बफर मानदण्ड	वास्तविक स्टॉक	न्यूनतम बफर मानदण्ड	वास्तविक स्टॉक
जनवरी 2008	82	77.12	118	114.75	200	191.87
अप्रैल	40	58.03	122	138.35	162	196.38
जुलाई*	201	249.12	98	112.49	299	361.61
अक्तूबर	140	220.25	52	78.63	192	298.88
जनवरी 2009*	112	182.12	138	175.76	250	357.88
अप्रैल	70	134.29	142	216.04	212	350.33
जुलाई*	201	329.22	118	196.16	319	525.38
अक्तूबर	140	284.57	72	153.49	212	438.06
जनवरी 2010	112	230.92	138	243.53	250	474.45
अप्रैल	70	161.25	142	267.13	212	428.38
जुलाई	201	335.84	118	242.66	319	578.50
अक्तूबर	140	277.77	72	184.44	212	462.21

टिप्पणी: बफर मानदण्डों में 1 जुलाई 2008 से 30 लाख टन गेहूं और 1 जनवरी 2009 से अति 20 लाख टन चावल का खाद्य सुरक्षा भण्डार शामिल है।

सारणी 8.17 : चावल तथा गेहूं की आर्थिक लागत

(रुपए/क्विंटल)

वर्ष	2002-03	2004-05	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 सं.अ.	2010-11 ब.अ.
चावल							
अधिप्राप्ति आनुषंगिक*	61.67	58.48	193.66	214.91	252.58	295.03	316.81
वितरण लागत	157.72	256.51	289.58	297.82	263.81	208.40	254.51
आर्थिक लागत**	1165.03	1303.59	1391.18	1549.86	1732.48	1873.58	2043.14
गेहूं							
अधिप्राप्ति आनुषंगिक	137.63	182.74	180.15	164.02	193.62	219.22	224.99
वितरण लागत	145.51	222.80	269.36	244.43	230.27	216.06	248.89
आर्थिक लागत	884.00	1019.01	1177.78	1311.75	1384.42	1457.30	1543.93

टिप्पणी: *चावल के सम्बन्ध में 2006-07 से लेवी चावल आनुषंगिकों का भारांश अधिप्राप्ति आनुषंगिकों में भी जोड़ा जा रहा है। ** सामान्य तथा श्रेणी 'ए' चावल के भारांश औसत को एक साथ लिया गया है।

ब.अ.: बजट अनुमान सं.अ.: संशोधित अनुमान

चित्र 8.16 चावल तथा गेहूं की आर्थिक लागत

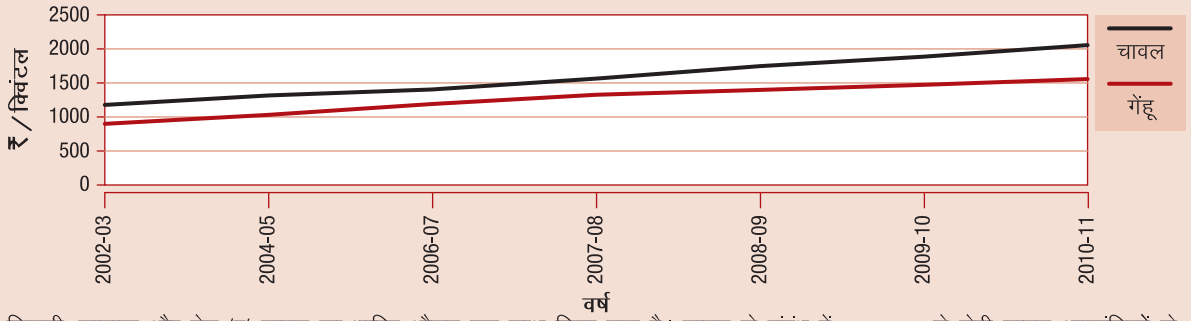

टिप्पणी: सामान्य और ग्रेड 'ए' चावल का भारित औसत एक साथ लिया गया है। चावल के संबंध में, 2006–07 से लेवी चावल आनुषंगिकों के अधिप्राप्ति आनुषंगिक भारित को भी लिया जा रहा है।

सब्सिडी देती है। जहां एक ओर गेहूं तथा चावल की आर्थिक लागत निरन्तर बढ़ रही है, वहीं दूसरी और निर्गम मूल्य 1 जुलाई, 2002 से अपरिवर्तित रही है। इसलिए सरकार टीपीडीएस, अन्य पोषाहार आधारित कल्याण योजनाएं तथा मुक्त बाजार प्रचालनों के अंतर्गत वितरण हेतु खाद्यान्नों पर बड़ी मात्रा में सब्सिडी राशि उपलब्ध कराती रही है। खाद्य सब्सिडी बिल में पिछले कुछ वर्षों में भारी बढ़ोतरी हुई। (सारणी 8.18 और चित्र 8.17)

टीपीडीएस के अंतर्गत आवंटन और सीआईपी

8.82 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणियों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन देश में सभी स्वीकृत 6.52 करोड़ परिवारों (जिसमें 2.43 करोड़ रुपए अन्त्योदय अन्न योजना के लिए शामिल हैं) के लिए 35 किग्रा प्रति परिवार की दर से किया जाता है। ये आंकड़े योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों तथा भारतीय महापंजीयक के मार्च 2000 की जनसंख्या के अनुसार हैं। गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) की श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न के स्टॉक की उपलब्धता तथा विगत में उठाव को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर के लिए वर्तमान में ये आवंटन अगस्त 2010 से छह माह हेतु विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति माह प्रति परिवार 10 कि.ग्रा. से बढ़कर 15 कि.ग्रा. कर दिया है। तद्नुसार, ये आवंटन प्रतिमाह 15 कि.ग्रा. और 35 कि.ग्रा. के बीच की रेंज में है और जिसे केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को टीपीडीएस के अन्तर्गत

सारणी 8.18 : सरकार द्वारा जारी खाद्य सब्सिडी की मात्रा

वर्ष	खाद्य सब्सिडी (₹ करोड़)	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)
1999-2000	9200.00	5.75
2000-01	12,010.00	30.54
2001-02	17,494.00	45.66
2002-03	24,176.45	38.20
2003-04	25,160.00	4.07
2004-05	25,746.45	2.33
2005-06	23,071.00	-10.39
2006-07	23,827.59	3.28
2007-08	31,259.68	31.19
2008-09	43,668.08	39.69
2009-10	58,242.45	33.37
2010-11*	51,196.97	-

टिप्पणी: 22 दिसम्बर, 2010 तक के आंकड़े

चित्र 8.17 सरकार द्वारा जारी खाद्य सब्सिडी की मात्रा

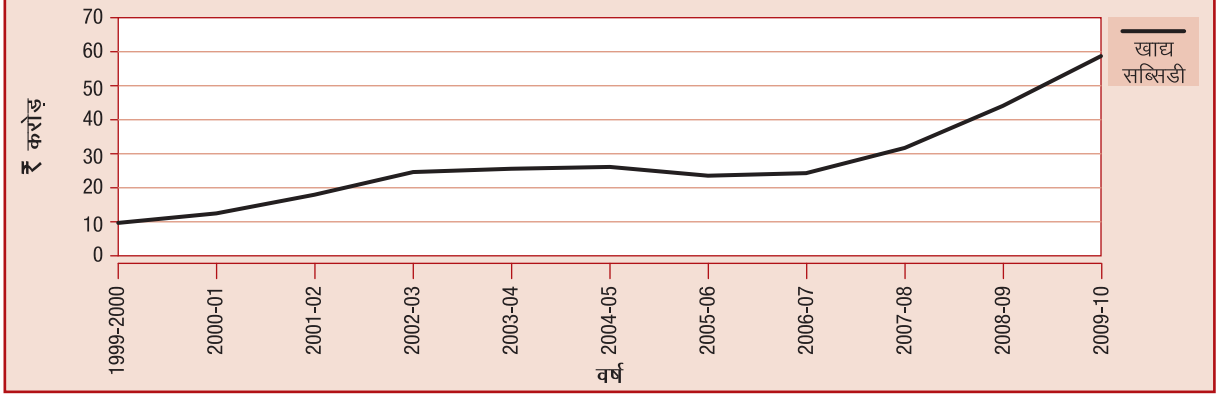

हेतु समरूप सीआईपी पर जारी किया जाता है। 2002-03 से गेहूं तथा चावल का सीआईपी ब्यौरा सारणी 8.19 में दिया गया है।

8.83 चावल और गेहूं के खुले बाजार में थोक मूल्य और केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी), जिसमें कार्डधारकों को खाद्यान्न निर्गमित किया जाता है, बीच के अंतर में विगत पांच वर्षों के दौरान सीआईपी में संशोधन नहीं किए जाने के कारण काफी बढ़ोत्तरी हो गई है। इसके परिणामस्वरूप टीपीडीएस, विशेषकर गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के परिवारों के द्वारा की जाने वाली कुल खरीद में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। चालू वर्ष के दौरान सरकार ने टीपीडीएस के अंतर्गत 470.80 लाख टन खाद्यान्न जारी किया गया है और इससे एएवाई, बीपीएल और एपीलए परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त राज्यों को आपदा राहत आदि के लिए 5.90 लाख टन खाद्यान्न जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, देश के स्वीकृत संख्या के बीपीएल/एएवाई/एपीएल परिवारों के लिए मई 2010 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 30.66 लाख टन खाद्यान्न का विशेष तदर्थ आबंटन किया गया। इस आबंटन का निर्गम मूल्य गेहूं के लिए 8.45 रुपए प्रति कि.ग्रा. और चावल के लिए 11.85 रुपए प्रति कि.ग्रा. था। अगले छः माह के दौरान वितरण के लिए सितम्बर, 2010 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को बीपीएल मूल्यों पर विशेष तदर्थ/अतिरिक्त आबंटन के रूप में कुल 25.00 लाख टन खाद्यान्न का आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष में अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल सेवाएं (आईसीडीएस), कल्याणकारी संस्थाओं और आपातकालीन भोजन कार्यक्रम के लिए नवम्बर, 2010 तक 47.55 लाख टन खाद्यान्न का आबंटन किया गया है।

खुली बिक्री योजना (घरेलू) और ओएमएसएस (डी)

8.84 भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भारत सरकार की ओर से बफर स्टॉक का अनुरक्षण करने और टीपीडीएस की आवश्यकता की पूर्ति हेतु खाद्यान्न स्टॉक प्रदान करने के अलावा, आपूर्ति बढ़ाने के लिए समय-समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित मूल्यों पर गेहूं और चावल की बिक्री करता रहा है जिससे कि खुले बाजार के मूल्यों में संतुलनकारी प्रभाव पड़ सके। विगत दो वर्षों में खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत बिक्री किए गए गेहूं और चावल की मात्रा सारणी 8.20 में दी गई है।

सारणी 8.19 : सीआईपीएस

(रुपए/क्विंटल)

वर्ष	श्रेणी	गेहूं	चावल
2002-03	एपीएल	610	830
(1.7.2002 से प्रभावी	बीपीएल	415	565
आज तक)	एएवाई *	200	300

*** एएवाई परिवारों के लिए सीआईपी, इस योजना के दिसम्बर, 2000 के प्रारम्भ से प्रभावी है।**

सारणी 8.20 : ओएमएसएस (डी) के अन्तर्गत निष्पादित गेहूं तथा चावल की मात्रा

वर्ष	मात्रा (लाख मी. टन)	
	गेहूं	चावल
2009-10	16.28	4.94
2010-11* (17.11.2010 की स्थिति के अनुसार)	2.07	1 .67

टिप्पणी: *2009-10 में किए गए आवंटन के मुकाबले मार्च 2010 के बाद उठाव

चीनी

8.85 भारत में चीनी का उत्पादन घटता-बढ़ता रहा है। 2006-07 और 2007-08 के चीनी मौसम अक्तूबर-सितम्बर में चीनी का उच्च उत्पादन देखा गया जबकि 2008-09 और 2009-10 के चीनी मौसम में इसका उत्पादन कम देखा गया। 2008-09 और 2009-10 के चीनी मौसम में चीनी का उत्पादन 2006-07 और 2007-08 के क्रमशः 282 लाख टन और 263 लाख टन के मुकाबले लगभग 146.7 लाख टन और 188 लाख टन होने का अनुमान है। 2008-09 में चीनी के उत्पादन में गिरावट से घरेलू चीनी के मूल्यों पर दबाव पड़ा और केन्द्र सरकार को इस अवधि के दौरान चीनी के घरेलू स्टॉक को बढ़ाने और चीनी के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए कई उपाय करने पड़े, जैसे, शुल्क-मुक्त चीनी, चीनी पर स्टॉकधारिता और कारोबारी सीमा का अधिरोपण, खांडसारी चीनी को स्टॉकधारिता और कारोबारी सीमा की परिधि में लाना और चीनी में वायदा कारोबार का निलम्बन। गन्ना आयुक्तों द्वारा किए गए अनुमानों के अनुसार 2010-11 में चीनी उत्पादन के लगभग 245 लाख टन होने की आशा है।

8.86 गन्ने के मामले में 'सांविधिक न्यूनतम कीमत' अवधारणा को उचित तथा लाभकारी कीमत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है ताकि 'जोखिम' तथा 'लाभ' के कारण गन्ना किसानों को विवेकसम्मत मार्जिन दिया जा सके और यह सभी राज्यों में समान रूप से लागू होगा। चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन दि॰ 22.10.2009 से प्रभावी है। 2010-11 चीनी मौसम के संबंध में, केन्द्र सरकार ने 9.5 प्रतिशत की मूल वसूली दर पर 139.12 रुपए प्रति क्विंटल की एफआरपी निश्चित की है जो वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 1.46 रुपए प्रीमियम के अधीन होगी।

खाद्य तेल

8.87 तिलहन (खरीफ 2010-11) के उत्पादन और सभी घरेलू स्रोतों (प्राथमिक) से खाद्य तेल की निवल उपलब्धता के क्रमशः 172.74 लाख टन और 35.19 लाख टन होने का अनुमान है। खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने तथा कीमतों पर नियंत्रण रखने हेतु

सरकार ने अप्रैल, 2008 से कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों में सीमा शुल्क को क्रमशः शून्य तथा 7.5 प्रतिशत तक घटा दिया है। इस शुल्क संरचना को सितम्बर, 2011 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। मार्च 2008 से सितम्बर, 2011 तक देश में सभी मुख्य खाद्य तेलों के निर्यात पर (कोचीन पत्तन के जरिए नारियल तेल तथा गौण वन क्षेत्र से उत्पादित कुछ तेलों और 5 कि.ग्रा. तक के बांडेड उपभोक्ता पैक, जिसकी उच्चतम सीमा 10,000 टन प्रति वर्ष है, को छोड़कर) मार्च 2008 से सितम्बर, 2011 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं को निज़ात दिलाने हेतु 2008-09 में 'सब्सिडी प्राप्त खाद्य तेलों के वितरण' की योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिए प्रतिमाह 1 लीटर प्रति राशन कार्ड आयातित खाद्य तेल का वितरण किया गया। यह योजना 2009-10 में 10 लाख टन तक आयातित तेल पर 15/- रुपए प्रति किग्रा की सब्सिडी के साथ जारी रही और इस योजना को 31 मार्च, 2011 तक बढ़ा दिया गया है।

जिंस वायदा बाजार

8.88 जिंस वायदा बाजार मूल्य प्राप्ति प्रक्रिया को सुगम बनाता है और जिंसों में मूल्य जोखिम प्रबंधन का एक अवसर प्रदान करता है। इस बाजार में 21 जिंस वायदा एक्सचेंज है जिसके अन्तर्गत पांच राष्ट्रीय और 16 (जिंस-विशिष्ट) क्षेत्रीय जिंस एक्सचेंज शामिल हैं। अहमदाबाद कमोडिटी एक्सचेंज (एसीई) नामक एक जिंस को अपग्रेड कर राष्ट्रीय एक्सचेंज बना दिया गया है और इसका पुनःनामकरण एसीई डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, अहमदाबाद कर दिया गया है। जिंस वायदा बाजार में कारोबार किए जाने वाले जिंसों में कृषि जिंसों, बुलियन, ऊर्जा और मूल धात्विक उत्पादों का बड़ा हिस्सा रहा है। 2010 के दौरान जस्ता और सीसा वायदा कारोबार के लिए छोटी संविदाएं आरम्भ की गईं।

8.89 जिंस वायदा बाजार के कारोबार के कुल मूल्य में 2010 के दौरान काफी बढ़ोत्तरी हुई (सारणी 8.21)। इस बढ़ोत्तरी की वजह बाजार में अधिक भागीदारी, वैश्विक जिंस मूल्यों वृद्धि, नए जिंस एक्सचेंजों के स्थापित किए जाने और कुछ ऐसी कृषि जिंसों जिन पर रोक लगी हो, पर कारोबार को पुनर्बहाली रही है।

8.90 2010-11 (नवम्बर 2010 तक) के दौरान बुलियन का मूल्य की दृष्टि से जिंस समूहों में कारोबारी मूल्य का अधिकतम हिस्सा (45.22 प्रतिशत) रहा, इसके पश्चात् धातु (23.80 प्रतिशत), ऊर्जा (19.45 प्रतिशत) और कृषि जिंसों (11.53 प्रतिशत) का स्थान रहा। तथापि, ऊर्जा के कारोबार में प्रमात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ा हिस्सा (56.77 प्रतिशत) रहा, इसके पश्चात् कृषि वस्तुओं (31.67 प्रतिशत), धातु (11.51 प्रतिशत) और बुलियन (0.05 प्रतिशत) का स्थान रहा।

सारणी 8.21 : जिंस वायदा बाजार का कारोबार

(करोड़ रुपए)

एक्सचेंज का नाम	केलेण्डर वर्ष		
	2008	2009	2010 (नवम्बर 2010 तक)
मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, मुम्बई	42,84,653	59,56,656	78,95,404
नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, मुम्बई	6,28,074	8,05,720	9,73,217
नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, अहमदाबाद	37,272	1,95,907	1,80,738
अन्य	83,885	1,32,173	4,45,366
जोड़	**50,33,884**	**70,90,456**	**94,94,725**

8.91 वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) जो वायदा संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अंतर्गत जिंस वायदा कारोबार के लिए विनियामक है, ने वर्ष 2010 के दौरान बाजार को सुदृढ़ करने और विस्तृत आधार प्रदान करने हेतु अपने प्रयास जारी रखे। इन प्रयासों का उद्देश्य प्रत्यक्ष बाजार भागीदारों, विशेषकर किसानों का जिंस वायदा बाजार में रक्षकों के रूप में प्रत्यक्ष बाजार भागरीदारों की जागरूकता का स्तर बढ़ाकर और इस बाजार की आर्थिक भूमिका के बारे में नीति निर्माताओं की भागीदारी को बढ़ाना है। एफएमसी एग्मार्कनेट और राष्ट्रीय जिंस एक्सचेंजों के समन्वय से मूल्य प्रसार परियोजना के कार्यान्वयन के जरिए कृषि उत्पाद बाजार समितियों (एपीएमसी) में कृषि वस्तुओं को हाजिर और भावी कीमतों का प्रसार सुनिश्चित करता है। इस परियोजना में एपीएमसी बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक प्राइस टिकर बोर्ड लगाए जाने की परिकल्पना की गई है जिसमें राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर प्राप्त कृषि वस्तु की हाजिर कीमतें और भावी कीमतें वास्तविक समय आधार पर प्रदर्शित की जाएंगी। विनियामक क्षेत्र में एफएमसी ने जिंस वायदा बाजार के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) आयोग ने वायदा संविदा (विनियम) अधिनियम 1952 के तहत इक्विटी निर्दिष्ट कर नए जिंस एक्सचेंजों को मान्यता प्रदान करने के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। इस इक्विटी को एकल स्टॉक एक्सचेंज अथवा जिंस एक्सचेंज और सभी स्टॉक और जिंस एक्सचेंजों की संचयी इक्विटी शेयरधारिता द्वारा धारित किया जा सकता है।

(ii) राष्ट्रव्यापी बहु-जिंस एक्सचेंजों की इक्विटी संरचना परिचालन के पांच वर्ष के पश्चात् विनिर्दिष्ट की गई जिसको देखते हुए कोई व्यक्ति अथवा सम्मिलित रूप में व्यक्ति एक्सचेंज की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 15 प्रतिशत से अधिक भाग धारित कर सकते हैं। मूल प्रोमोटर/निवेशक भी एक्सचेंजों

की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 26 प्रतिशत से अधिक धारित नहीं कर सकते। संशोधित खंड में भी राष्ट्रीय जिंस एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज/स्टॉक एक्सचेंजों और जिंस एक्सचेंजों की शेयरधारिता को सीमित करने की व्याख्या है।

(iii) ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी राष्ट्रीय जिंस एक्सचेंजों के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के जरिए बाजार अभिगम संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया जिसके द्वारा सब-ब्रोकर की प्रणाली समाप्त कर दी गई और राष्ट्रीय जिंस एक्सचेंजों के सदस्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे प्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों के जरिए ही अपने ग्राहकों की पहुंच की व्यवस्था कराएं जिन्हें आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त किया गया है।

(iv) ऐसी शर्तों को निर्दिष्ट कर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिन्हें जिंस एक्सचेंजों के ऐसे सदस्यों द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है जो विदेशी बाजारों में पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उपक्रमों की स्थापना करने के इच्छुक हैं।

इलेक्ट्रॉनिक हाजिर एक्सचेंज का विकास

8.92 चार राष्ट्रीय जिंस हाजिर एक्सचेंजों, नामत: राष्ट्रीय हाजिर एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल), एनसीडीईएक्स हाजिर एक्सचेंज (एनएसपीओटी), रिलायन्स हाजिर एक्सचेंज और राष्ट्रीय एपीएमसी की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ की गई। इनमें से एनएसईएल, एनसीडीईएक्स हाजिर एक्सचेंज और रिलायंस हाजिर एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में हाजिर एक्सचेंज 30 से अधिक वस्तुओं की ट्रेडिंग कराते हैं जिनकी डिलीवरी 15 से भी अधिक राज्यों में फैले स्थानों में होती है। हाजिर एक्सचेंज भौगोलिक रूप से दूरवर्ती स्थानों के क्रेताओं और विक्रेताओं को बड़ी संख्या में जोड़ते हैं जिससे समय, दूरी और सूचना प्रवाह की समस्या समाप्त हो जाती है। साथ ही मध्यस्थता लागत को कम करने और किसानों को बढ़ी हुई कीमत की प्राप्ति के उद्देश्य से किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों और प्रयोक्ताओं में प्रत्येक ट्रेड बाजार संयोजन हेतु गारंटी भी प्रदान करते हैं। वे वायदा एक्सचेंजों को सर्वाधिक दक्ष हाजिर कीमत संबंधी जानकारी भी प्रदान करते हैं। कृषि के संबंध में एक्सचेंज किसानों को कीमत संबंधी जानकारी तक वास्तविक समय पहुंच और सरलीकृत डिलीवरी प्रक्रिया प्रदान कर प्लेटफॉर्म पर सुविधाजनक रूप में ट्रेडिंग करने में समर्थ बनाएंगे। जिससे सर्वोत्तम संभाव्य कीमत सुनिश्चित होगी। खरीद के संबंध में जिंस मूल्य श्रृंखला में वस्तुओं के सभी प्रयोक्ताओं की एक्सचेंजों तक एकसाथ पहुंच होगी और वे सर्वाधिक संभाव्य कीमत पर अधिप्राप्ति कर सकेंगे। ऐसे त्रुटिहीन हाजिर लेन-देन के परिणामस्वरूप प्राप्त दक्षता स्तर से उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा।

दृष्टिकोण और चुनौतियां

8.93 साठ के दशक के मध्य से हमारे देश ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अच्छी प्रगति की है। वर्तमान में दूध, गेहूं, चावल, फलों और सब्जियों जैसी विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में भारत का स्थान ऊंचा है। तथापि, भारत का कृषि क्षेत्र अभी संकट में है क्योंकि खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ रही है और कई वस्तुओं की अपेक्षाकृत धीमी आपूर्ति से खाद्य मुद्रास्फीति में अक्सर बढ़ोतरी हो रही है। साठ के दशक में हुई प्रौद्योगिकीय प्रगति धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है।

8.94 कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि न केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और पोषण सुरक्षा बल्कि चालू योजना में परिकल्पित विकास के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए भी एक आवश्यक शर्त है। तथापि, पिछले दशक में क्षेत्रों में बहुत अल्प वृद्धि और कई फसलों की आज में मामूली वृद्धि के साथ कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी एक चुनौती बनी हुई है। कृषि में स्थिर उत्पादकता स्तर की चुनौती के समाधान के लिए संगठित और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। सम्पूर्ण दृष्टि से विचार कर कृषि अनुसंधान, विकास, प्रौद्योगिकी का प्रसार और कृषि निविष्टि जैसे गुणवत्ता बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की व्यवस्था से आवश्यक उत्पादकता के महत्वपूर्ण स्तर को हासिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के मौजूदा कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वयन और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है जिससे इष्टतम परिणाम सुनिश्चित किए जा सके।

8.95 कृषि में सघउ के प्रतिशत के रूप में पूंजी निवेश हाल के वर्षों में स्थिर रहा है, हालांकि चालू पंचवर्षीय योजाना के दौरान कृषि में सघउ के प्रतिशत के रूप में पूंजी व्यय में कुछ सुधार दिखाई पड़ा है। तथापि, यह भी ध्यान में रखा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र संबंधी सघउ स्वयं 2007-08 से 2009-10 तक के तीन वर्षों के दौरान स्थिर रहा है। कृषि क्षेत्र में वास्तविक चुनौती सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा इस क्षेत्र में सतत् पूंजी निवेश बढ़ाने की है।

8.96 हमारे निवल कृषि क्षेत्र का साठ प्रतिशत हिस्सा अभी भी वर्षा सिंचित है। विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि वर्षा सिंचित क्षेत्रों की संभाव्यता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लक्षित विकास को तरजीह दी जानी चाहिए।

8.97 किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को उनके उत्पादन पर अधिक प्रतिलाभ अनिवार्य है। किसानों को उनके उत्पादों के लिए बाजार कीमत प्राप्त होनी चाहिए। दक्ष आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना करना न केवल अनिवार्य वस्तुओं की उचित कीमतों पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि उत्पादों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके, अनिवार्य है। अत:

किसानों को बाजार से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। दूध क्षेत्र में सहकारी समितियों के सफल अनुभव को कृषि उत्पादों के मामले में आपूर्ति श्रृंखला के प्रबोधन में और उत्पादकों को लाभकारी कीमत प्रदान करने में प्रयोग किया जा सकता है।

8.98 भारत में द्वितीयक खाद्य प्रसंस्करण का स्तर कई पश्चिमी देशों की तुलना में अत्यन्त कम है। आय और जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ संबंधित खाद्य वस्तुओं की मांग के बढ़ने की संभावना है। इस बदलती मांग को पूरा करने और साथ ही किसानों की आय को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तथापि, संसाधित खाद्य की मांग के बढ़ने की प्रत्याशा है। खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला, संबंधित खाद्य वस्तुओं की हैंडलिंग और पैकेजिंग को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

8.99 खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी एक बड़ी चिन्ता का विषय रही है। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु न केवल खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि करना महत्वपूर्ण है बल्कि आम आदमी की थाली में खाद्य वस्तुओं की सही मात्रा सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। बागवानी उत्पादों पर बल दिया जाना अपेक्षित है जिससे कि खाद्य वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में बढ़ोतरी और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

8.100 कृषि क्षेत्र में ढांचागत आवश्यकताओं विशेषकर भंडारण, संचार, सड़कें और बाजारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसी आवश्यकताओं जो कृषि क्षेत्र के विकास हेतु बहुत महत्वपूर्ण हैं, का तीव्र विकास सुनिश्चित करने में सरकारी निजी भागीदारी मॉडलों से सहायता मिल सकती है।

8.101 अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि दर और आय-के बढ़ते स्तर से पशुधन क्षेत्र के उत्पादों पर दबाव पड़ रहा है। मांस, दूध और कुक्कुट जैसे कई वस्तुओं पर उनकी कीमतों को बढ़ाने का दबाव हो रहा है जिससे थोक खाद्य वस्तु, मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है। इन मदों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाना समय की मांग है। इन कदमों से ग्रामीण आय के बढ़ने और ग्रामीण आबादी की आजीविका के विकल्प प्राप्त होंगे।

8.102 पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न फसलों की एमएसपी में काफी वृद्धि हुई है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना आवश्यक समझा जाता है। साथ ही साथ एमएसपी उत्पाद के आधार पर मूल्य का संकेत देता है। कृषि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए एक साथ ध्यान रखना चुनौती की बात है। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में लघु और सीमांत किसानों की कृषि बाजार में सीधी पहुंच का प्रभाव एमएसपी की वृद्धि पर यह सवालिया निशान लगाता है कि एमएसपी से वास्तव में ऐसे किसानों को लाभ पहुंच रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चावल और गेहूं की रिकॉर्ड अधिप्राप्ति से चावल और गेहूं के बफर स्टॉक और सामरिक महत्व के भंडार के निर्माण में सहायता मिली है। हालांकि, इस प्रक्रिया में काफी बड़ी लागत आती है जिसकी पूर्ति खाद्य सब्सिडी के रूप में बजटीय स्रोतों के जरिए की जाती है। एमएसपी से संबद्ध अधिप्राप्ति कार्यों से खाद्य सब्सिडी में बढ़ोतरी के जरिए राजकोषीय दबाव पड़ता है। दक्ष खाद्य स्टॉक प्रबंधन और समय पर स्टॉकों की ऑफलोडिंग के मुद्दे पर अतिशीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हैं।

8.103 संरक्षण की चुनौती सबसे महत्वपूर्ण उभरती चुनौतियों में से एक है। कृषि के लिए अनुकूल जलवायु हेतु पारिस्थितिकीय फाउंडेशनों हेतु विधियों का अधिनियमन, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन, मृदा का कार्बन पृथक्करण और समग्र प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन अतिशीघ्र आवश्यक है।

8.104 अन्त में, वर्षा सिंचित क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान दिए जाने के साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाना, भारतीय कृषि का फसल कार्य से पशुधन, मात्स्यिकी और कुक्कुट और बागवानी की ओर मुड़कर उसका विविधीकरण करने के अतिरिक्त पर्यावरणीय चिन्ताओं को दूर करने पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। उच्च स्तर के निवेशों की आवश्यकता न केवल उत्पादकता बढ़ाने के लिए बल्कि यह परिवहन, भंडारण और कृषि उत्पादन के वितरण के लिए पर्याप्त अवसंरचना को सृजित करने हेतु भी जरूरी है।